

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI**

Original Application No. 1262/2024

IN THE MATTER OF:

SHANKAR LAL LAKHANDE & OTHERS APPLICANT

//VERSUS//

STATE OF MADHYA PRADESH & OTHERS RESPONDENTS

INDEX

S.No	Particulars	Page No.
1	Reply to Original Application by Respondent No. 8, RG Associate along with affidavit	01-19
2	ANNEXURE R-8/1 Copy of the complaints filed by the answering respondent before various authorities.	20-22
3	ANNEXURE R-8/2 Copy of the sand lease withdrawal letter by answering Respondent on dated 11.11.2024	23-24
4	ANNEXURE R-8/3 Copy of the complaint filed by Sarpanch Village Chincholi, Balaghat on dated 09.01.2024	25-27
5	ANNEXURE R-8/4 Copy of surrender letter by Answering Respondent to The office of State Mining Corporation on dated 31.08.2024	28-29
6	ANNEXURE R-8/5 Copy of the Half-Yearly Environmental Compliance Reports before the (SEIAA) through the Parivesh Portal.	30-66

7	ANNEXURE R-8/6 The recent pictures of the alleged site dated 11.10.2025	67-69
8	ANNEXURE R-8/7 Copy of the show cause notice issued by Respondent No. 4, Collector (Mines) Balaghat on dated 29.08.2025	70-73
9	ANNEXURE R-8/8 Copy of the reply dated 12.09.2025 by answering Respondent no-8 to the show cause notice issued by Collector (Mines) Balaghat on dated 29.08.2025	74-80
10	ANNEXURE R-8/9 Copy of FIR filed against R-8 on dated 30.08.2025	81-88

PLACE: Bhopal

Respondent No. 8/ RG Associate

DATE: 11/10/2025



Through Counsel

[Om Shanker Shrivastava, Advocate]

Omslawhouse; R-52, Zone-II, MP Nagar,

Bhopal (MP) Ph; 7869911990

Email: omslawhouse@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI**

Original Application No. 1262/2024

IN THE MATTER OF:

Shankar Lal Lakhande & OthersAPPLICANT

//VERSUS//

State of Madhya Pradesh & OthersRESPONDENT

CHRONOLOGY OF EVENTS

Date	Description
02.05.2024	Mining contract executed with Answering Respondent No-8 as Mine Developer-cum-Operator (MDO) for 65 mines, including Chicholi mine, with validity till 01.05.2027.
31.08.2024	Letter to the MD, State Mining Corporation, Bhopal by MDO for surrender of the lease due to local disturbance and Maharashtra and MP border issues
11.11. 2024	Another letter by Answering Respondent to surrender the lease of Chicholi mine owing to rampant illegal mining in surrounding areas, and obstructions in lawful operation of the Sand Mines.

13.12.2024	Ld. Joint Committee inspection at the site; coordinates measured using mobile phones instead of DGPS (raising accuracy concerns).
20.05.2025	Respondent Nos. 2 & 4 filed reply confirming illegal mining by other violators; no action ever taken against Answering Respondent.
30.08.2025	FIR lodged against the Answering Respondent (MDO) dated 30.08.2025 retrospectively a year after surrendering the sand lease dated 11.11.2024 (<i>Annexure R-8/8</i>)

PLACE: Bhopal

DATE: 11/10/2025

Respondent No. 8



Through Counsel

[Om Shanker Shrivastava, Advocate]

Omslawhouse; R-52, Zone-II, MP Nagar,

Bhopal (MP) Ph; 7869911990

Email: omslawhouse@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI**

Original Application No. 1262/2024

IN THE MATTER OF:

SHANKAR LAL LAKHANDE & OTHERSAPPLICANT

//VERSUS//

STATE OF MADHYA PRADESH & OTHERSRESPONDENT

REPLY ON BEHALF RESPONDENT NO 8

Most Humbly Showeth:

1. That, the instant Original Application (“OA”) was filed as a letter petition before this Hon’ble Tribunal by the Applicants raising multifarious and baseless allegations of environmental violations at the Chicholi sand quarry, Balaghat. This Hon’ble Tribunal was pleased to implead M/S R G Associates i.e. Respondent no. 8 in the present OA (*hereinafter referred to as the “Answering Respondent”*).
2. That it is submitted at the very outset that save and except the matters of record, the Answering Respondent denies and disputes all averments, allegations and submissions made in the OA. Nothing contained in the OA may be deemed to be admitted for lack of traverse or otherwise, unless specifically admitted by the Answering Respondent.

3. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 20.11.2024 was pleased to constitute a joint committee and directed it to visit the concerned site and submit a factual and action taken report. The Ld. Joint Committee visited the concerned mining area on 13.12.2024. The report ("**Report**") of the Ld. Joint Committee was submitted before this Hon'ble Tribunal.
4. The relevant factual matrix of the matter are succinctly stated herein below for the convenience of this Hon'ble Tribunal

BRIEF FACTS

5. That, the present OA pertains to unfounded allegations of illegal and unregulated sand mining in respect of the operations at the Chicholi Sand Quarry, situated in Village Chicholi, Tehsil Khairlanji, District Balaghat (M.P.), located along the left bank of the Bawanthandi River, Balaghat, MP. As per the Mining plan approved by the authority the river carries sufficient quantity of aggregates / gravel and boulder because of it's topography and flowing through hilly terrain and rock types region. Moreover, river flows through a slop which gives momentum to the rain water which in turn increases the corrosion and erosion resulting deposition od sand mineral.
6. That, the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited ("MPSMC") R-3 issued an e-tender dated 05.02.2023 for awarding contracts of 65 sand quarries across Balaghat district, having a cumulative annual production capacity of 15 lakh cubic meters. The Answering Respondent, represented by Shri Ramesh Prasad Dubey and Shri Girish

Pathak, was declared the successful bidder and appointed as the Mine Developer-cum-Operator (“MDO”) under a contract executed on 02.05.2024, valid up to 01.05.2027. The total lease area covered under the contract was 291.755 hectares, including a 4.99-hectare sand mine located at Khasra No. 463, Village Chicholi, Balaghat.

7. That, the mining operations could be conducted only within the area duly allotted and demarcated by the Mining Department. The responsibility for erecting and maintaining the boundary pillars and coordinates lies solely with the Mining Department at District level. The Answering Respondent, as MDO, had no role whatsoever in determining or placing the boundary pillars or in the technical fixation of coordinates. The mining operation can be initiated only after due *Bhu-Pravesh* and demarcation by the authority at the respective sand query.
8. That, the Rule 5(1) of the Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, storage and trading) Rules 2019 (as amended) states as follows. "Demarcation of sand quarries. - The Collector shall identify new sand bearing areas in rivers or on other places of the State. D.G.P.S. survey shall be carried out and its location on revenue map along with Latitude and Longitudes shall be marked: Provided that the sand quarries demarcated and declared prior to the commencement of these rules, may be amended by following the same procedure as required..." Therefore, any sand queries are required to be declared by the concerned collector within its jurisdiction. In the instant case also the under procedure the

query was identified and all mining operations were undertaken strictly within the demarcated area under supervision of the Mining Officer, and the answering respondent at no stage carried out any extraction beyond the lease boundaries.

9. That, the region adjoining the Madhya Pradesh & Maharashtra border is plagued by large-scale illegal mining activities carried out by local offenders. The Sarpanch of Village Chicholi, by written complaint dated 09.01.2024 to the Sub-Divisional Officer, formally identified certain individuals, including Raja Lilhare and Kankar Munjare, as being responsible for such illegal operations. These very names are reflected in the Report of the Joint Committee itself. The Chicholi region, particularly the areas adjoining the Bawanthandi riverbed and the border between Madhya Pradesh and Maharashtra, is notoriously affected by rampant illegal mining conducted by unauthorized local operators. These illegal activities have been a long-standing concern for local residents as well as for the lawful leaseholders, including the Answering Respondent.
10. That, the Answering Respondent, upon taking over the operations, observed the widespread illegal excavation being carried out in and around the lease area by certain anti-social elements. Owing to the gravity of the issue and the continuous disturbance caused by these unlawful operations, the Answering Respondent made multiple written complaints and representations to the concerned authorities including the Mining Officer, Collector (Mines), Sub-Divisional Officer, and the Police

Department, from time to time during the year 2024. In these representations, the Answering Respondent specifically apprised the authorities that illegal mining was occurring outside the designated lease area, often during night hours, and that such operations were being carried out by unauthorized individuals and local residents of the villages of Madhya Pradesh & Maharashtra. Despite repeated follow-ups, no effective preventive or penal action was taken by the authorities against violators. The lack of administrative cooperation rendered it practically impossible for the Answering Respondent to carry out legitimate mining operations within the leasehold area. Copy of the complaints filed by the Answering Respondent has been annexed as **ANNEXURE R-8/1**.

11. That, the inaction of the authorities not only caused financial losses but also led to disruption, intimidation of staff, and fear for personal safety. The Answering Respondent was, therefore, constrained to curtail and ultimately suspend operations at the Chicholi sand mine. The copy of the lease withdrawal letter dated 11.11.2024 has been annexed as **ANNEXURE R-8/2**.
12. That, in addition to the Answering Respondent's representations, even the Sarpanch of Village Chicholi had filed a written complaint dated 09.01.2024 before the Sub-Divisional Officer, Balaghat, highlighting the ongoing illegal mining activities and naming the principal offenders Raja Lilhare and Kankar Munjare. The said individuals were later mentioned in the Joint Committee Report itself in connection with illegal mining in

the area. Copy of the complaint regarding prevailing illegality dated 09.01.2024 filed by the then Sarpanch is annexed as **ANNEXURE R-8/3**.

13. That, it is most pertinent to submit that due to the uncontrolled illegal mining activities in the vicinity, repeated disruptions, and the total apathy of the authorities, the Answering Respondent voluntarily surrendered the Chicholi mine lease as prescribed under Rule 16 of the Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rules, 2019 on dated 31.08.2024. The Answering respondent was forced to surrender the sand leases much before the contractual period. However, the Department did not accept the Surrender letter with assurance to consider the complaints made by the Answering Respondent. Copy of surrender letter by Answering Respondent to MD, State Mining Corporation, R-3 on dated 31.08.2024 is annexed as **ANNEXURE R-8/4**
14. That, even after fullest efforts made by the Answering respondent to operate the sand mines but, due to the illegal mining activities in the vicinity, repeated disruptions, threat to the staff, and the continued apathy of the authorities, the Answering Respondent again wrote a letter and voluntarily surrendered vide letter dated 11.11.2024, which was duly submitted to the Mining Department, Balaghat, in accordance with law, much before the term of the tender expiring on 01.05.2027. This clearly demonstrates that the Answering Respondent had no intention to continue operations in such a volatile environment and that the surrender was a bona fide step taken in the interest of legality, compliance, and safety.

15. That, it is crucial to underscore that the Answering Respondent has at all times conducted mining operations strictly in accordance with the approved Mining Plan, Environmental Clearance conditions, and lease terms. Every act of extraction, transportation, and dispatch was carried out under duly issued transit passes generated through the official *e-khanij portal*, thereby ensuring full traceability and transparency. The Answering Respondent has neither indulged in, nor authorized, any activity beyond the sanctioned lease area. The contemporaneous record of daily dispatches, royalty payments, and production returns filed before the Mining Department stand as incontrovertible proof of bona fide and lawful conduct throughout the tenure of operations.

16. That, it's most humbly submitted that, during its visit on dated 13.12.2024, the Joint Committee observed said mines was not in operation. The Joint Committee purportedly measured the mining area and recorded coordinates. However, instead of employing the Differential Global Positioning System (DGPS) the standard device for accurate survey the Committee used mobile phones to record location data. The positional accuracy of mobile devices varies substantially depending on the device and environmental conditions. Hence, the coordinates reflected in the Report are inherently unreliable and cannot be treated as conclusive evidence of the alleged boundary violations.

17. That, it is also pertinent to note that the alleged area of illegal excavation, as per the Joint Committee Report, falls on the Maharashtra side of the Banwanthadi River. The Applicant's mining lease lies entirely within the territorial jurisdiction of the State of Madhya Pradesh, and the Applicant has neither operational control nor legal authority to conduct any mining activity across the inter-state boundary. Any excavation activity beyond the Madhya Pradesh border, even if it occurred, would therefore fall outside the jurisdiction and control of the Applicant and cannot be attributed to him in any manner. The allegation of cross-border excavation is, therefore, inherently unsustainable.

18. That the findings of the Ld. Joint Committee are not only procedurally defective but also technically unsound. The Ld. Committee's reliance upon satellite imagery, Google Earth overlays, and mobile-based measurements, without adopting DGPS or theodolite-based survey methods, violates the mandatory protocol laid down under the M.P. Sand Mining Rules, 2019, as amended. The Ld. Committee failed to verify datum points, reference coordinates, or verify the base map alignment with official cadastral sheets. Consequently, the purported "area of illegal excavation" by the committee is scientifically unreliable and cannot withstand judicial or administrative scrutiny.

19. That, as per the Ld. Committee's Report, the Answering Respondent abled to mine only 864 cubic meters (CuM) of sand against the total sanctioned capacity of 59,880 Cubic Meters (CuM) as per the

Environmental Clearance of the said mines. This establishes beyond doubt that the Answering Respondent had operated well within permissible limits and that large-scale illegal extraction as alleged by the Applicant was never carried out by the answering respondent.

20. That, even assuming, without admitting, that any excavation occurred marginally outside the sanctioned boundary, the same cannot be imputed to the answering respondent as a willful or intentional act. The respondent operated strictly on the demarcated area as handed over by the Mining Department, and any deviation, even if discovered, can only be the result of erroneous demarcation of boundary pillars by third-party causes. In absence of *mens rea* or deliberate intent, criminal culpability cannot be fastened upon the Answering Respondent (MDO), particularly when no recovery, seizure, or actus reus as per Rules 53(4) of MP Minor Mineral Rules 1996 which has been established on record.

21. That, it is further pertinent to mention that the requisite Half-Yearly Environmental Compliance Reports before the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) through the Parivesh Portal were duly being submitted. The then compliance report, covering the period from July 2024 to December 2024, stands duly uploaded and acknowledged on the Parivesh platform by the Corporation. The said report clearly demonstrates that the Project Proponent has consistently adhered to all stipulated environmental conditions and operational parameters prescribed under the Environmental Clearance. This establishes that the

mining operations were being carried out in a lawful, transparent, and compliant manner, under the continuous supervision of the regulatory authorities. A copy of the said compliance report, along with a screenshot evidencing its submission on the Parivesh Portal has been annexed as **ANNEXURE R-8/5**.

22. That, Respondents No. 2 and 4, in their joint reply filed before this Hon'ble Tribunal on dated 20.05.2025, admitted that illegal mining was indeed being carried out in the vicinity by unauthorized persons who had encroached beyond demarcated pillars. They further stated that action had been taken against such violators by way of registration of cases and imposition of penalties. It is significant that no such action was ever taken against the Answering Respondent until much later, clearly indicating that the authorities themselves had not found any illegality attributable to the Answering Respondent during the period (July 2024 to Dec 2024).
23. That, notwithstanding the above, the Collector (Mines), District Balaghat, issued a letter dated 28.08.2025, alleging violation of Section 18 of the M.P. Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2022 against the Answering respondent and mechanically raising exorbitantly high demand sum of ₹22,95,00,000/- (Rupees Twenty-Two Crore Ninety-Five Lakh) as penalty and environmental compensation. It's evident that, no due process as prescribed in the rules has been followed by the authority before imposing such penalty upon R-8. That, the authority also ignored the fact that, the sand quarry near river

Bawanthandi is inundated with rain water at present. The recent pictures of the alleged site were taken and being attached for kind perusal of this Hon'ble Tribunal as **ANNEXURE R-8/6**

24. Ironically, on the very next day, 29.08.2025, an inter-state inspection was jointly carried out by officials from District Balaghat (M.P.) and District Bhandara (Maharashtra). The inspection report categorically concluded that there were no signs of illegal mining activity by any person or vehicle in and around the Bawanthandi river. However, to the complete surprise of the Answering Respondent, the Collector's office issued a show-cause notice on the same day, i.e. 29.08.2025, based solely on the flawed and unreliable Joint Committee Report. The Answering Respondent had filed a response to the show cause notice to the satisfaction of the Collector's office. Copy of the Show cause notice dated 29.08.2025 and the reply filed by the Answering Respondent is annexed as **ANNEXURE R-8/7** and **ANNEXURE R-8/8**.
25. That, the entire proceedings culminating in the impugned show-cause notice are vitiated by gross procedural irregularity and violation of the principles of natural justice. No prior intimation, notice, or opportunity of hearing was ever extended to the Applicant before the inspection was undertaken or before the findings were recorded. The inspection was carried out behind the back of the Applicant, and the report was prepared unilaterally, without affording any chance to present relevant records, site plans, or evidence to rebut the allegations. Such a process, conducted ex parte and in deviation of established procedure, cannot form the legal

foundation for penal or coercive action under the Mining Rules or under the general law.

26. That the issuance of the impugned show-cause notice dated 29.08.2025 nearly eight months after the inspection 13.12.2024, and long after the surrender of the lease, smacks of arbitrariness and afterthought. Such belated proceedings not only violate the principle of promptness inherent in administrative fairness but also defeat the purpose of Section 21 of the General Clauses Act, which requires that penal action be initiated contemporaneously with the alleged offence retrospectively. The delayed issuance of notice, after cessation of lease operations and closure of the project office, renders the entire process legally infirm and void ab initio.
27. Shockingly, despite the above contradictory findings and absence of any material evidence, the Mining Department lodged a complaint with the police leading to registration of an FIR under Sections 303 and 317 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) against the Answering Respondent. The said action is wholly arbitrary, devoid of factual foundation, and amounts to an abuse of administrative authority. Copy of FIR filed against the answering respondent on dated 30.08.2025 has also been annexed as **ANNEXURE R-8/9**, for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.
28. That, the entire case of the Department rests on presumptive inference rather than direct, scientific, physical, or documentary evidence. There is no seizure of machinery, sand stock, or transportation vehicle linking the Applicant to the alleged illegal excavation. The Ld. Committee's

speculative estimation of volume and financial loss, based on visual approximation and without measurement under Rule 33 of the M.P. Minor Minerals Rules, 1996, lacks any evidentiary or legal sanctity. The findings, being conjectural and not supported by empirical data, cannot form the basis for punitive action.

29. That the present reply is not a para-wise response. The Answering Respondent reserves its right to file a detailed para-wise response by the leave of this Hon'ble Tribunal, at a later stage, if the circumstances merit the same or upon the directions of this Hon'ble Tribunal.
30. That, from the foregoing, it is evident that the Answering Respondent operated strictly within the demarcated lease area and in full compliance with the applicable laws and permissions. The extraction quantity was far below the permissible limit, ruling out any allegation of excessive or illegal mining. Rampant illegal mining in the adjoining areas was conducted by unauthorized individuals, which the Answering Respondent repeatedly reported to the authorities, yet no remedial action was taken. Multiple inspection reports, including that of the Collector (Mines) and the inter-state committee, categorically negate any allegation of illegal mining by the Answering Respondent.
31. That, the sequence of events establishes that the bonafide Answering Respondent acted strictly within the confines of the rule of law and the contractual terms, operated well below the permissible mining limit, and voluntarily surrendered the lease due to uncontrollable external illegal mining in the region. The allegations of illegal mining against the

Answering Respondent are therefore arbitrary, factually incorrect, and unsustainable in law.

32. That, and affidavit is being filed in support of the reply.

PRAYER

In view of the facts and circumstances stated hereinabove, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to:


- a) Dismiss the present Original Application as being misconceived, devoid of merit, and founded on erroneous, arbitrary, and procedurally defective findings;
- b) Quash and set aside the impugned Show Cause Notice(s) dated 08.08.2025; 29.08.2025 and all consequential proceedings initiated thereunder, as being illegal, arbitrary, unscientific, and without jurisdiction;
- c) Pass such further or other orders in favour of the bonafide answering respondent as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the interest of justice, equity, and good conscience.

PLACE: Bhopal

Respondent No. 8

DATE: 11/10/2025

Through Counsel



[Om Shanker Shrivastava, Advocate]
Omslawhouse; R-52, Zone-II, MP Nagar,
Bhopal (MP) Ph; 7869911990
Email: omslawhouse@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,**PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI****Original Application No. 1262/2024 (PB)**

SHANKAR LAL LAKHADE APPLICANT(S)

VERSUS

STATE OF M.P. & OTHERS ... RESPONDENT(S)

AFFIDAVIT

I, Ramesh Prasad Dube S/o Shri Ramdas Dube R/o 54 sector, Shanti Niketan, Govindpura, Bhopal (MP). do hereby solemnly affirm on oath and state as under:-

1. That, the deponent being being a partner in M/s RG Associates is authorised for filing the instant reply and is well acquainted with the facts of the case. The deponent is conversant with the facts and circumstances of the above application as per the records available.
2. That, reply is drafted on deponent's instructions by deponent's Counsel which is read and understood by me and the same is true and correct.
3. That this affidavit is filed in support of the reply filed herewith.



Ramesh Prasad
आपका श्री Ramdas Dube
निवास Bhopal
ने आज दिनांक 11/10/2025

रमेश दुबे
DEPONENT

VERIFICATION

the above deponent, do hereby verify that the contents of this affidavit from paragraphs 1 to 3 are true to the best knowledge and available office record. Signed and verified on thisday of October 2025 at Bhopal

दाप सरा
कत, भोपाल

रमेश दुबे
DEPONENT

प्रमाणित किया गया कि शपथ ग्रहित
को मेरे समक्ष शपथ पत्र सुनाया व समझा
गया उसे सही मानकर हस्ताक्षर/अंगुठा
समक्ष अंकित किया

शुदीप सराठ
शपथ आयुक्त, भोपाल

Kartkey Bhatia
IDENTIFIED BY ME

पति,

पुलिस महानिरीक्षक महोदय

जोन बालाघाट, मध्यप्रदेश

विषय:- स्वीकृत रेतघाटों में व्यवधान उत्पन्न करने व अवैध वसूली के प्रयास की शिकायतों पर कार्यवाही न होने विषयक ।

महोदय जी,

विषय अंतर्गत लेख है कि हमारी फर्म आरजी एसोसिएट रेत घाट समूह जिला बालाघाट के संचालन के लिए MDO के रूप में कार्यरत है, बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए विधायक गौरव पारधी के द्वारा अपने समर्थकों के साथ अनाधिकृत रूप से घाटों के संचालन में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, स्वीकृत रेत घाटों को बंद कराने स्थानीय लोगों को उकसाने के साथ इनके समर्थक अवैध वसूली के प्रयास में लगे रहते हैं, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा लगातार की जा रही है किंतु किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न होती देख इनके हौसले बुलंद हैं ,और बार बार अराजकता का माहौल बन रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है किंतु स्थानीय पुलिस प्रशासन विधायक के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। ढेरों बार मारपीट धमकी एवं अवैध रूप से पैसों की मांग करने के मामले हुए हैं, किंतु कारगर कार्यवाही के अभाव में घटनाओं का क्रम रुक नहीं रहा है,जनपद अध्यक्ष खैरलांजी आशु बघेले,जनपद सदस्य पूजा नगपुरे, गुनाराम बघेले योगेश नगपुरे,राजा लिहारे के द्वारा खैरलांजी क्षेत्र में विधायक गौरव पारधी के संरक्षण में अवैध वसूली का लगातार प्रयास किया जा रहा है,रेत घाटों को बंद कराने तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं,इनकी शिकायत लगातार की जा रही है,वहीं दूसरी ओर हाल ही में बम्हनी रेत घाट को रात्रि में गौरव पारधी के करीबी प्रियांशु राउत जो कि भाजपा युवा मोर्चा कटंगी अध्यक्ष हैं के द्वारा अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश शासन लिखे वाहन से पहुंचकर घाट के कर्मचारी एवं रेत लेने आए इंफर के चालक परिचालक के साथ मारपीट करते हुए अवैध रूप से पैसों की मांग की गई जिसकी शिकायत संबंधित थाने में करने के बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे घाट के कर्मचारियों में भय का माहौल व्याप्त है, रेत घाटों के संचालन में इस तरह की बाधा उत्पन्न होते रहने से हमारी फर्म को भारी नुकसान हो रहा है साथ ही सरकार को मिलने वाले राजस्व की भी क्षति हो रही है। किसी भी घाट में जाकर गौरव पारधी ग्रामीणों को उकसाने घाट को अवैध बताने लगते है उसके बाद उस घाट का संचालन रुक जाता है,भोरगढ़, चिचोली ,चंद्रकुआ,हरदौली,कोडबी,बम्हनी,आदि घाटों में भी कुछ ऐसा ही हुआ,विवाद की स्थिति निर्मित की गई। स्थानीय विधायक के संरक्षण में अवैध वसूली का कारोबार फल फूल रहा है लेकिन पुलिसिया कार्यवाही अबतक शून्य ही है।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि रेतघाटों के संचालन में जबरिया व्यवधान उत्पन्न करने और अवैध वसूली करने वाले अराजक तत्वों पर कार्यवाही करने की कृपा करें

प्रतिलिपी:-

- 1 प्रमुख सचिव महोदय मध्य प्रदेश सरकार भोपाल
- 2 प्रबंध संचालक महोदय एम पी राज्य खनिज निगम भोपाल
- 3 आयुक्त महोदय ,जबलपुर मध्य प्रदेश
- 4कलेक्टर महोदय जिला बालाघाट
- 5 पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट
- 6 जिला खनिज अधिकारी महोदय बालाघाट

M/s. R. G. And Associates
P.O. And G.P.O. (Incorporated)
Add. Main Road, Balaghat

भारतीय
आर जी एसोसिएट

Proprietor

पति.

मुख्य मंत्री महोदय जी
मध्य प्रदेश शासन भोपाल

विषय:- स्वीकृत रेतघाटों में व्यवधान उत्पन्न करने व अवैध वसूली के प्रयास की शिकायतों पर कार्यवाही न होने विषयक ।

महोदय जी,

विषय अंतर्गत लेख है कि हमारी फर्म आरजी एसोसिएट रेत घाट समूह जिला बालाघाट के संचालन के लिए MDO के रूप में कार्यरत है, बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए विधायक गौरव पारधी के द्वारा अपने समर्थकों के साथ अनाधिकृत रूप से घाटों के संचालन में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, स्वीकृत रेत घाटों को बंद कराने स्थानीय लोगों को उकसाने के साथ इनके समर्थक अवैध वसूली के प्रयास में लगे रहते हैं, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा लगातार की जा रही है किंतु किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न होती देख इनके हौसले बुलंद हैं, और बार बार अराजकता का माहौल बन रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है किंतु स्थानीय पुलिस प्रशासन विधायक के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। ढेरों बार मारपीट धमकी एवं अवैध रूप से पैसों की मांग करने के मामले हुए हैं, किंतु कारगर कार्यवाही के अभाव में घटनाओं का क्रम रुक नहीं रहा है, जनपद अध्यक्ष खैरलांजी आशु वघेले, जनपद सदस्य पूजा नगपुरे, गुनाराम वघेले योगेश नगपुरे, राजा लिन्हारे के द्वारा खैरलांजी क्षेत्र में विधायक गौरव पारधी के संरक्षण में अवैध वसूली का लगातार प्रयास किया जा रहा है, रेत घाटों को बंद कराने तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, इनकी शिकायत लगातार की जा रही है, वहीं दूसरी ओर हाल ही में बम्हनी रेत घाट को रात्रि में गौरव पारधी के करीबी प्रियांशु राउत जो कि भाजपा युवा मोर्चा कटंगी अध्यक्ष हैं के द्वारा अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश शासन लिखे वाहन से पहुंचकर घाट के कर्मचारी एवं रेत लेने आए डफर के चालक परिचालक के साथ मारपीट करते हुए अवैध रूप से पैसों की मांग की गई जिसकी शिकायत संबंधित थाने में करने के बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे घाट के कर्मचारियों में भय का माहौल व्याप्त है, रेत घाटों के संचालन में इस तरह की बाधा उत्पन्न होते रहने से हमारी फर्म को भारी नुकसान हो रहा है साथ ही सरकार को मिलने वाले राजस्व की भी क्षति हो रही है। किसी भी घाट में जाकर गौरव पारधी ग्रामीणों को उकसाने घाट को अवैध बताने लगते हैं उसके बाद उस घाट का संचालन रुक जाता है, भोरगढ़, चिचोली, चंद्रकुआ, हरदौली, कोडबी, बम्हनी, आदि घाटों में भी कुछ ऐसा ही हुआ, विवाद की स्थिति निर्मित की गई। स्थानीय विधायक के संरक्षण में अवैध वसूली का कारोबार फल फूल रहा है लेकिन पुलिसिया कार्यवाही अबतक शून्य ही है।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि रेतघाटों के संचालन में जबरिया व्यवधान उत्पन्न करने और अवैध वसूली करने वाले अराजक तत्वों पर कार्यवाही करने की कृपा करें
प्रतिनिधि:-

- 1 प्रमुख सचिव महोदय मध्य प्रदेश सरकार भोपाल
- 2 प्रबंध संचालक महोदय एम पी राज्य खनिज निगम भोपाल
- 3 आयुक्त महोदय, जवेलपुर मध्य प्रदेश
- 4 कलेक्टर महोदय जिला बालाघाट
- 5 पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट
- 6 जिला खनिज अधिकारी महोदय बालाघाट



भवदीय
M/s. R.G. Associates
R.P.D. आर.जी. एसोसिएट (Consortium)
Add-Ward No. 15 Balaghat
2024

Proprietor

पति,

मुख्य मंत्री महोदय जी
मध्य प्रदेश शासन भोपाल

विषय:- स्वीकृत रेतघाटों में व्यवधान उत्पन्न करने व अवैध वसूली के प्रयास की शिकायतों पर कार्यवाही न होने विषयक ।

महोदय जी,

विषय अंतर्गत लेख है कि हमारी फर्म आरजी एसोसिएट रेत घाट समूह जिला बालाघाट के संचालन के लिए MIDO के रूप में कार्यरत है, बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए विधायक गौरव पारधी के द्वारा अपने समर्थकों के साथ अनाधिकृत रूप से घाटों के संचालन में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, स्वीकृत रेत घाटों को बंद कराने स्थानीय लोगों को उकसाने के साथ इनके समर्थक अवैध वसूली के प्रयास में लगे रहते हैं, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा लगातार की जा रही है किंतु किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न होती देख इनके हौसले बुलंद हैं, और बार बार अराजकता का माहौल बन रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है किंतु स्थानीय पुलिस प्रशासन विधायक के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। ढेरों बार मारपीट धमकी एवं अवैध रूप से पैसों की मांग करने के मामले हुए हैं, किंतु कारगर कार्यवाही के अभाव में घटनाओं का क्रम रुक नहीं रहा है, जनपद अध्यक्ष खैरलांजी आशु बघेले, जनपद सदस्य पूजा नगपुरे, गुनाराम बघेले योगेश नगपुरे, राजा लिल्लहारे के द्वारा खैरलांजी क्षेत्र में विधायक गौरव पारधी के संरक्षण में अवैध वसूली का लगातार प्रयास किया जा रहा है, रेत घाटों को बंद कराने तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, इनकी शिकायत लगातार की जा रही है, वहीं दूसरी ओर हाल ही में बम्हनी रेत घाट को रात्रि में गौरव पारधी के करीबी प्रियांशु राउत जो कि भाजपा युवा मोर्चा कटंगी अध्यक्ष हैं के द्वारा अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश शासन लिखे वाहन से पहुंचकर घाट के कर्मचारी एवं रेत लेने आए डंपर के चालक परिचालक के साथ मारपीट करते हुए अवैध रूप से पैसों की मांग की गई जिसकी शिकायत संबंधित थाने में करने के बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे घाट के कर्मचारियों में भय का माहौल व्याप्त है, रेत घाटों के संचालन में इस तरह की बाधा उत्पन्न होते रहने से हमारी फर्म को भारी नुकसान हो रहा है साथ ही सरकार को मिलने वाले राजस्व की भी क्षति हो रही है। किसी भी घाट में जाकर गौरव पारधी ग्रामीणों को उकसाने घाट को अवैध बताने लगते हैं उसके बाद उस घाट का संचालन रुक जाता है, भोरगढ़, चिचोली, चंद्रकुआ, हरदौली, कोडबी, बम्हनी, आदि घाटों में भी कुछ ऐसा ही हुआ, विवाद की स्थिति निर्मित की गई। स्थानीय विधायक के संरक्षण में अवैध वसूली का कारोबार फल फूल रहा है लेकिन पुलिसिया कार्यवाही अबतक शून्य ही है।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि रेतघाटों के संचालन में जबरिया व्यवधान उत्पन्न करने और अवैध वसूली करने वाले अराजक तत्वों पर कार्यवाही करने की कृपा करें

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव महोदय मध्य प्रदेश सरकार भोपाल
- 2 प्रबंध संचालक महोदय एम पी राज्य खनिज निगम भोपाल
- 3 आयुक्त महोदय, जबलपुर मध्य प्रदेश
- 4 कलेक्टर महोदय जिला बालाघाट
- 5 पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट
- 6 जिला खनिज अधिकारी महोदय बालाघाट

भवदीय
आर जी एसोसिएट
रमेश झा
Proprietor



मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के नियम-16 के अंतर्गत
ठेका समर्पण की पूर्व सूचना

The M.P. State Mining Corporation Ltd., Bhopal
No. 4382
Date 11-11-24

01	रेत खदानों का समूह	बालाघाट
02	माइन डेवलपर कम्पे ऑपरेटर इकाई का नाम एवं पता	आर. जी. एसोसिएट्स मेसर्स रमेश प्रसाद दुबे एंड गिरीश पाठक (कंसोर्शियम) वार्ड नंबर 15 बैहर रोड बालाघाट
03	अधिकृत प्रतिनिधि का नाम	रमेश प्रसाद दुबे
04	त्रिपक्षीय अनुबंध की तिथि	02/05/2024
05	मध्यप्रदेश रेत खनन, परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के नियम 15 के अंतर्गत रेत खदानों के समूह का ठेका समर्पण करने की पूर्व सूचना की तिथि	10/11/2024

मैं "रमेश प्रसाद दुबे" (अधिकृत प्रतिनिधि का नाम) रेत खदानों के जिला समूह "बालाघाट" के माइन डेवलपर कम्पे ऑपरेटर "आर. जी. एसोसिएट्स मेसर्स रमेश प्रसाद दुबे एंड गिरीश पाठक (कंसोर्शियम) वार्ड नंबर 15 बैहर रोड बालाघाट" की ओर से यह घोषणा करता हूँ कि:-

- आज दिनांक को मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) नियम, 2019, माइन डेवलपर कम्पे ऑपरेटर की नियुक्ति हेतु जारी किये गए ई-निविदा सह नीलामी दस्तावेज एवं निगम, कलेक्टर एवं हमारे मध्य निष्पादित त्रिपक्षीय अनुबंध के अंतर्गत समस्त देय राशि का भुगतान कर दिया गया है।
- मेरे/हमारे विरुद्ध पर्यावरण नियमों के उल्लंघन, अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण आदि के संबंध में कोई वाद लंबित नहीं है।

- यदि इस प्रकार का प्रकरण प्रचलनशील है तो उक्त के संबंध में प्राप्त कारण बताओ नोटिस की प्रति संलग्न करते हुए दर्शित राशि का उल्लेख किया जाये। वाद निर्मित हो चुका हो तो अपील की स्थिति का वर्णन करें।
- यदि न्यायलीनवाद संस्थित हो चुका है तो तत्संबंधी दस्तावेज संलग्न किये जाए एवं इसमें दर्शित राशि का उल्लेख किया जाये।
- यदि निर्णित हो चुका है तो निर्णय की प्रति एवं दर्शित राशि का उल्लेख किया जाये। यदि अपील दायर की गई है तो उक्त की स्थिति स्पष्ट की जाए।

3. मैं/हम वचन देते हैं कि इस ठेके से संबंधित कार्य के विषय में भविष्य में यदि अवैध खनन, परिवहन, भंडारण आदि अथवा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी कारण कोई वाद निर्मित/ संस्थित होता है। कोई पेनल्टी आदि अधिरोपित होती है तो मेरे द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा। न्यायालय/नियमों के उल्लंघन के संबंध में किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश आदि के संबंध में, वर्तमान एवं भविष्य में भी समस्त जवाबदारी मेरी/हमारी होगी एवं शासन, कलेक्टर एवं निगम उपरोक्त की समस्त जिम्मेदारी से मुक्त होंगे।

रमेश डेबे

(एमडीओ का नाम)

M/s. R.G. And Associates
R.P.D. And GP (Consortium)
Add.-Ward No. 15, Balrampur, Balrampur

Proprietor

Annexure-X

शपथ पत्र

सेवा में,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
तह. वारासिवनी जिला बालाघाट म.प्र.

विषय : रेत उत्खन्न के विषय में।

महोदय जी,

मैं कौशलनाथ पिता ब्रजलाल तुरकर निवासी ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी जिला बालाघाट का स्थायी निवासी होने के साथ ग्राम पंचायत चिचोली का निर्वाचित सरपंच हूँ।

दिनांक 08.01.2024 के करीब 6.00 बजे राजा लिल्हारे पिता सोहनलाल लिल्हारे निवासी ग्राम भौरगढ़ एवं कंकर मुंजारे जो कि अपराधिक प्रवृत्ति के लोग है एवं ग्राम के कुछ लोग जो हमसे चुनाव में हार गये थे उनको लेकर चिचोली में शासन द्वारा स्वीकृत रेत घाट पर आकर मेरे खिलाफ एवं रेत ठेकेदार के खिलाफ अनर्गल नारेबाजी करने लगे जिससे मेरी मान प्रतिष्ठा धुमिल हुई ज्ञात हो कि मुझे बिना कोई सूचना दिये यह लोग रेतघाट का सीमांकन कराने पहुंचे थे जहाँ आकर यह लोग मेरी गैर मौजूदगी का लाभ उठाते हुए मेरे प्रति गाली-गलोच जैसे- शब्दों का प्रयोग किये एवं अनाब-शनाब आरोप लगाते हुए रिपोर्ट तैयार करवाये । ये लोग जिस अवैध उत्खनन की बात करते है वह उत्खनन कार्य महाराष्ट्र के तरफ से अवैध रेतघाट चलाने वाले लोगों के द्वारा किया गया है, मैंने कई बार भण्डारा जाकर खनिज विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन भण्डारा जिला में अवैध उत्खनन तेजी से चल रहा है। हमारे यहाँ के रेत ठेकेदार प्रधानमंत्री आवास योजना में चिचोली, फूलचुर, शंकरपिपरिया पंचायतों को मुफ्त में रेत प्रदान करते हैं। चिचोली का घाट शासन द्वारा स्वीकृत भूमि है, गांव के ही ट्रैक्टर एवं भजदूरों से द्वारा उत्खनन कार्य किया जाता है। रेत ठेकेदार से पैसा वसूली ना होने की वजह से राजा लिल्हारे एवं कंकर मुंजारे रेत घाट पर आकर हल्ला-दंगा करते है, ऐसा प्रयास पिछले वर्षों से ही किया जा रहा है।

फिलहाल राजा लिल्हारे अपने साथियों के साथ बावनथड़ी नदी में ही महाराष्ट्र की तरफ से अवैध रेत घाट को संरक्षण देता है। पूरी बरसात और मध्यप्रदेश के रेत घाटों का काम शुरू होने से पहले तक अवैध उत्खनन करने वाले लोगों के द्वारा जमकर उत्खनन कार्य किया गया है, ठेकेदारों के विरोध के बाद उनका काम बंद हुआ। मेरे द्वारा भी विरोध किया गया, अब



अ.स. सोन
शपथ पत्र
मुनीश चौबे
अधिवक्ता एवं नोटरी
वारासिवनी जिला-बालाघाट
9-1-2024





सेवा में,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय

तह. वारासिवनी जिला बाघाघाट म.प्र.

E-Stamp Code

01010109012024017351

Total E-Stamp Amount

100

विषय: रेत उत्खनन के विषय में।

Govt. Stamp Duty (Rs.)

100

Municipality Duty (Rs.) 0

Janpad Duty (Rs.)

0

Upkar Amount (Rs.) 0

Exempted Amount

महोदय जी,

E-Stamp Type

NON-JUDICIAL

Issue Date & Time

08/01/2024 18:38:26 में श्री राजा ब्रजलाल तुरकर निवासी ग्राम चिचोली तह.

Service Provider or Issuer Details

JYALAL DOHARE/SP010116603262106044

SP/SRO/DRO/HO Details

खैरलाल जी जिला बाघाघाट का स्थानीय निवासी होने के साथ ग्राम पंचायत

चिचोली का निर्वाचित सरपंच हूँ।

Deed Details

Deed Type

दिनांक 08.01.2024 के करीब 6.00 बजे राजा लिल्हारे पिता सोहनलाल लिल्हारे निवासी ग्राम भौरगढ़ (सब) कंकर मुंजारे जिला

Deed Instrument

अपराधिक प्रवृत्ति के लोग है एवं ग्राम के कुछ लोग जो हमसे चुनाव में हार

Purpose

गये थे उनको लेकर चिचोली में शासन द्वारा स्वीकृत रेत घाट पर आकर

Name

मेरे खिलाफ एक रेत ठेकेदार के खिलाफ अनाराल नारेबाजी करने लगे

Address

जिससे मेरी मान प्रतिष्ठा धूमिल हुई ज्ञात हो कि मुझे बिना कोई सूचना

Number of Persons

Organization Name

दिये यह खोज अभियान चिचोली का सीमाकन कराने पहुंचे थे जहाँ आकर यह लोग

Address

मेरी गैर मौजूदगी का लाभ उठाते हुए मेरे प्रति गाली-गलोच जैसे- शब्दों

Number of Persons

affidavit

का प्रयोग किये एवं अनाब-शनाब आरोप लगाते हुए रिपोर्ट तैयार करवाये।

ये लोग जिस अवैध उत्खनन की बात करते है वह उत्खनन कार्य महाराष्ट्र

के तरफ से अवैध रेतघाट चलाने वाले लोगों के द्वारा किया गया है, मैंने

कई बार भण्डारा जाकर खनिज विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन

भण्डारा जिला में अवैध उत्खनन तेजी से चल रहा है। हमारे यहाँ के रेत

ठेकेदार प्रधानमंत्री आवास योजना में चिचोली, फूलचुर, शंकरपिपरिया

पंचायतों को मुफ्त में रेत प्रदान करते है। चिचोली का घाट शासन द्वारा

स्वीकृत भूमि है, गांव के ही ट्रेक्टर एवं मजदूरों से द्वारा उत्खनन कार्य

किया जाता है। रेत ठेकेदार से पैसा वसूली ना होने की वजह से राजा

लिल्हारे एवं कंकर मुंजारे रेत घाट पर आकर हल्ला-दंगा करते है, ऐसा

प्रयास पिछले वर्षों से ही किया जा रहा है।

Digitally signed by JYALAL DOHARE
Date: 2024.01.09 18:38:26
IST

फिलहाल राजा लिल्हारे अपने साथियों के साथ बावनथड़ी नदी में ही

महाराष्ट्र की तरफ से अवैध रेत घाट को संभाल रहे है। यदि सरकार और

मध्यप्रदेश के रेत घाटों का काम शुरू करने वाले लोगों के द्वारा जमकर उत्खनन

करने के बाद उनका काम बंद हुआ।

इनके द्वारा स्वीकृत घाट को छोड़कर महाराष्ट्र तरफ वावनथड़ी नदी से खुदाई कर महाराष्ट्र में ही रेत उम्प कर बेची जा रही है। राजा लिल्हारे के द्वारा अपने मामा नंदू नगपुरे के साथ डोंगरिया, चिचोली में भी रेत उत्खनन का कार्य किया जाता था। नवम्बर माह में ठेका होते ही ठेकेदार ने आपत्ति ली तो ये लोग चिडकर उल्टी शिकायत करने लगे।

सन् 2019 में तात्कालीन सरपंच श्री भाऊलाल हट्टेवार के द्वारा रेत घाट की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था तब से रेतघाट का संचालन शुरू हुआ था। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ठेकेदार के प्रतिनिधि के तौर पर राजा लिल्हारे के मामा नंदू नगपुरे के द्वारा सुनिल टेंभरे एवं जयदेव भौरगढ़े के साथ मिलकर घाट का संचालन कर श्रीमती यशोदा/सुनिल टेंभरे (वर्तमान उपसरपंच) की भूमि पर रेत का भण्डारण करते थे। किन्ही कारणों से रेत ठेकेदार के द्वारा उन्हें कार्य से पृथक कर दिया गया, यही लोग रेतघाट के प्रति जनाक्रोश पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जयदेव भौरगढ़े मुझ से चुनावी रंजिस रखते हैं क्योंकि पिछले वर्ष हुये सरपंच चुनाव में मुझ से पराजित हुये, इसलिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर मुझ पर तरह-तरह के आरोप लगाते हैं, रेतघाट ठेकेदार एवं मुझसे व्यक्तिगत द्वेष की भावना रखकर ग्राम के लोगों को भड़काने का प्रयास एवं विवाद बढ़ाने का प्रयास करते हैं, स्थिति गांव में विस्फोटक हो गई है कभी भी बड़ा विवाद इन लोगों के कृत्य से हो सकता है क्योंकि गांव के ही हजारों लोगों को इस रेतघाट से रोजगार मिल रहा था, अब महाराष्ट्र तरफ चलने वाले अवैध रेतघाटों को चलाने वाले लोगों को फायदा पहुंचेगा।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उपरोक्त समस्या को गंभीरता से लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करे।

दिनांक - 09.01.2024

आवेदक

(Signature)

कौशल नाथ पिता ब्रजलाल तुरकर
सरपंच

ग्राम पंचायत, चिचोली (खैरलांजी)
जिला बालाघाट म.प्र.

अभिमाही - कौशल नाथ
आत्मज -
जाति - पार्वत
ने दि - 9-1-2024
अभिमा -
पत्रघान - कौशल नाथ
जिनके हस्ताक्षर -
दिनांक - 9-1-2024
मुनीश चौबे
अधिकांश एवं नोटरी
बारासिवनी

पहचानकर्ता
(Signature)



ANNEXURE R-8/4

467

M/s R.G. AND ASSOCIATES

M/s Shri Ramesh Prasad Duboy And Shri Girish Pathak (Consortium)

Phone No. - 7020507263

Email Id - rgandkntext2@gmail.com

Add . - Ward No.15, Bailhar Road, Balaghat (MP)

क्रमांक 103

दिनांक 31-08-2024

प्रति,

प्रबंध संचालक महोदय

द मध्य प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड,

भोपाल, मध्य प्रदेश

विषय:- बालाघाट जिले के सीमावर्ती राज्यों द्वारा अंतरराज्यीय आवागमन पास निरस्त करना एवं बालाघाट जिले के असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने के कारण ठेका सरेंडर करने वावत,

महोदय जी,

विषयांतर्गत लेख है कि हमारी फर्म मध्य प्रदेश रेत खनन परिवहन भंडारण व व्यापार नीति 2019 के तहत निविदा सह नीलामी प्रक्रिया में उच्चतम निविदाकार घोषित होकर बालाघाट जिला रेत खदान समूह हेतु माइन डेवलपर कम आपरेटर नियुक्त हुई है, इससे पूर्व भी हमारी फर्म के द्वारा बालाघाट जिला रेत खदान समूह का सफलता पूर्ण संचालन किया गया था। बालाघाट जिले के सीमावर्ती राज्यों द्वारा अंतरराज्यीय आवागमन पास प्रदान किये जाते थे जिससे हमारा व्यापार सुचारु रूप से चलता था क्योंकि बालाघाट महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर स्थित जिला है और हमारे द्वारा बिक्री का अधिकतम प्रतिशत इसी राज्य में किया जाता है, लेकिन कुछ समय से महाराष्ट्र राज्य द्वारा आवागमन पास की अनुमति निरस्त करने के कारण हमारा व्यापार अत्यंत रूप से प्रभावित हुआ है। एवं शासन/प्रशासन को इस विषय हेतु कई बार अवगत कराया गया परन्तु फिर भी शासन/प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं किया गया। एवं बालाघाट जिले के असामाजिक तत्वों द्वारा वैद्य खदानों में जाकर व्यवधान उत्पन्न किया जाता है एवं हमारे द्वारा शांतिपूर्वक एवं सुचारु रूप से किये जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न कर कार्य को रुकवा दिया जाता है एवं ग्रामीणों में भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं जिसकी वजह से माइंस संचालित करने में भारी उन्माद उत्पन्न होता है और असामाजिक तत्वों द्वारा भिन्न भिन्न तरीकों से फ्रसाने की कोशिश की जाती है, एवं ब्लैकमेल भी करते हैं, ग्रामीणों को भड़काया जाता है, एवं उन्हें हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिसके कारण हमें कार्य करने में असुविधा होती है।

466

M/s R.G. AND ASSOCIATES

M/s Shri Ramesh Prasad Dubey And Shri Girish Pathak (Consortium)

Phone No. - 7028507263

Email Id - rgk@rediffmail.com

Add . - Ward No.15, Baihar Road, Balaghat (MP)

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उक्त कारणों की वजह से ठेका आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं, हमारी फर्म बार बार शिकायतें करती रही, कार्यवाही की मांग करती रही ताकि सुचारू रूप से कार्य कर ज्यादा से ज्यादा राजस्व सरकार के मद में जमा करवा सके, हमें मजबूरन माइन डेवलपर कम आपरेटर की भूमिका छोड़नी पड़ रही है। हमारे द्वारा आज बालाघाट जिले के रेत का ठेका समर्पण/सरेन्डर करने की अनुमति प्रदान करें।

रामेश दुबे

सफलतम निविदाकार

मेसर्स आर. जी. एंड एसोसिएट्स

बालाघाट (म. प्र.)



Dashboard |

Environment Clearance ▾

Forest Clearance ▾

Wildlife Clearance ▾

CRZ Clearance ▾

Go To
Home

Logout

Welcome PURAN
LAKSHKAR, Project
Proponent

Back

View Half Yearly Compliance Report at Project Proponent

Proposal Details

Proposal No	SIA/MP/MIN/430049/ 2023	Category	Non-Coal Mining		
Name of Project	CHICHOLI SAND QUARRY				
Plot / Survey/ Khasra No.	463	Village(s)	CHICHOLI	Sub-District(s)	Khairlanji
State	MADHYA PRADESH	District	BALAGHAT		
MoEF File No	10238/2023	Name of the Entity/ Corporate Office	PURAN LAKSHKAR	Entity's PAN	*****7172J
Entity Name as per PAN	PURAN LAKSHKAR	Entity details mentioned above is correct ?	Agree		

Covering Letter

Covering Letter [Click to View](#)

Compliance Reporting Details

Reporting Year 2025 **Reporting Period** 01 Dec(01 Apr - 30 Sep)

Remark(if any) jan-june 2025

Details of Production and Project Area

Date of Commencement of Project/Activity 21-12-2024

	Project Area as per EC Granted(ha.)	Actual Project Area in Possession(ha.)
Private	0	0
Revenue Land	4.99	4.99
Forest	0	0
Others	0	0
Total	4.99	4.99

Land Documents [Click to View](#)

Sr.No.	Name of the Product	Units	As per EC Granted	As per CTO Granted	CTO ID	Valid Up To	Production during last financial year
1	sand	Others:M3	0	0	0	01-01-0001	0

Conditions

Specific Conditions

Sr.No.	Condition Heading	Condition Details	Status of Compliance,Remarks / Reason and Supporting Documents
--------	-------------------	-------------------	--

General Conditions

Sr.No.	Condition Heading	Condition Details	Status of Compliance,Remarks / Reason and Supporting Documents
1	Statutory compliance	upload report	
2	GREENBELT	NA	

Document uploaded by the PP

**Last Site Visit Report
(if available)** [Click to View](#)

**Last Site Visit Report
Date (if available)**

**Additional
Attachment (if any)** [Click to View](#)

**Additional Remarks
(if any)** Plz Find Complionce report

- I 'PURAN LAKSHKAR' hereby give undertaking that the data and information given in the filed compliance and enclosures are true to be best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information found to be false or misleading at any stage, the clearance given to the project will be revoked at our risk and cost. In addition to above, I hereby give undertaking that no activity such as change in project layout, construction, expansion, etc. has been taken up without due approval.

Cover Letter From RO/SRO

**Cover Letter From
RO/SRO**

[Back](#)

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

**From:- Lessee- Puran Lakshkar, The M.P State Mining Corporation. MP
Paryavas Bhawan, Block A, Jail Road Bhopal**

**Sub-Lessee- M/S R.G And Associates. (MDO)
Ward No.15 Baihar Road Balaghat. MP**

To,
The Member Secretary,
MP-SEIAA, E-5 Paryavaravan Parishar Arera Colony, Bhopal M.P-462016.

The Director Moef
Kendriya Paryavaravan Bhawan, E-5 Arera Colony, Link Road no.-3 Ravishankar nagar Bhopal-
462016.

The Collectorate
Mining office Balaghat MP

Sub: Submission of Compliance of the Conditions of Environmental Clearance
for Sand Quarry in an area of 4.990 hectare, near village - chicholi, Tehsil-
Khairlanji, District-Balaghat, Khasra No.-463

Reference:EC issued by SEIAA, vide letter no. EC23B001MP183358, dated 04/10/2023

Sir,


As per the office Memorandum of SEIAA-MP vide no. 930/SEIAA/2019 dated
30.05.2019, we are submitting the Environmental clearance compliance of above
subjected QL with the following documents:

1. Environmental Clearance Compliance
2. Copy of Environmental Clearance
3. Photographs showing plantation carried out, etc.

This compliance report is submitted for your information and office record
purpose.

Thanking you


पूरन लक्ष्मण लक्षकार (कनिष्ठ प्रबंधक) सा.
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि. बालाघाट


M/s. R.G. And Associates
R.P.D. And G.P. (Consortium)
Add.-Ward No.-15, Baihar Road, Balaghat

Proprietor

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

INDEX

SR. No.	Document's	Annexure
1	SEIAA OFFICE OM LETER	ANNEXURE-1
2	COMPLIANCE REPORT	ANNEXURE-2
3	PLANTATION PHOTOGRAPHS	ANNEXURE-3
4	SEIAA COPY	ANNEXURE-4

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

ANNEXURE-1

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal-462016
Visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No. 930 /SEIAA/2019


Date: 30.5.2019

Office Memorandum

It has been observed that the six monthly compliance reports are not being submitted by many Project Proponents to the concerned regulatory authority i.e. MPSEIAA/Regional Office, MoEF&CC, Gol Bhopal on regular basis on 1st June and 1st December of each calendar year as per prior EC Condition. It is to mention here that submission of compliance report is mandatory as per section 10 of EIA Notification, dated 14th September, 2006. Further, non-submission of compliance report is also a violation of General condition of prior EC. A hard and soft copy of all backlog half yearly compliance report should be uploaded online on website or sent through e-mail / CD on regular basis i.e. for the period from January-June and July-December in each calendar year as non furnishing of information may lead to violation of Section-20 of EP Act 1986 & may attract appropriate action including revocation of EC.

In context of above, all Project Proponents are hereby informed and directed to submit the compliance report to the concerned regulatory authority i.e. SEIAA/Regional Office, MoEF&CC, Gol Bhopal on regular basis. As per MoEF&CC, Gol Notification dated 25.11.18, soft copy of compliance report will now be uploaded by PP on ministry's website instead of submitting hard and soft copy.

A serious note in this regard has been taken into consideration and authority decided to upload six monthly (half yearly) compliance report of EC conditions including CER/CSR activities regularly by Project Proponent on MoEF&CC, Gol website with intimation to concerned authority (SEIAA and Regional Office, MoEF&CC, Gol, Bhopal). **If Project Proponent is failed to upload or submit two consecutive half yearly compliance reports of EC conditions to concerned authority than prior Environmental Clearance issued to Project Proponent will automatically be treated as cancelled/revoked.** In case, PP is unable to upload compliance report on ministry's web site due to any reason than PP can submit hard copy of compliance report to concerned authorities.


(Jitendra Singh Raje)
Member Secretary

Endt No. / SEIAA/19 Dated:-

Copy to

1. Joint Secretary, IA Division, MoEF&CC, Gol, Indira Paryavaran Bhavan, Jorbag Road, New Delhi.
2. Principal Secretary, Environment Department, Govt. of MP, Mantralaya, Bhopal.
3. Secretary, Mineral Resources Department, Govt. of MP, Mantralaya, Bhopal.
4. Chairman, SEIAA and SEAC.
5. Secretary, SEAC, Paryavaran Parisar, E-5 Arera Colony Bhopal.
6. Director, Geology & Mining, 29-A, Khanij Bhavan, Arera Hill, Bhopal.
7. All District Collectors, Madhya Pradesh.
8. All concerned.

Member Secretary

- **Correspondence Address:** Member Secretary, SEIAA, Environmental Planning and Coordination Organisation (EPCO), Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal - 462016

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

ANNEXURE-2

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

**SIX MONTHLY ENVIRONMENT CLEARANCE
COMPLIANCE REPORT**

FOR

Chicholi Sand Quarry

Area 4.990 Hectare, Kh. No. -463

AT

Village-chicholi

Tehsil:Khirlanji

Dist -Balaghat(M.P.)

Proponent

**Puran Lakshkar,
The M.P State Mining Corporation.
Paryavas Bhawan, Block A, Jail Road Bhopal. MP**

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

विशिष्ट शर्तें

Sr. No.	Conditions	Compliance
1-	खनन योजना अनुसार उत्पादन किया जायेगा !	मेरे द्वारा खनन योजना के अनुसार ही उत्पादन किया जावेगा!
2-	खनन क्षेत्र को चारों तरफ से तारों से घेरा जावेगा !	मेरे द्वारा खदान क्षेत्र में तार फेंसिंग करवाया गया है जो की फोटोग्राफ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है !
3-	सड़क मार्ग तरफ वृक्षारोपण किया जावेगा !	सड़क मार्ग में पौधों कवृक्षरोपण किया गया है !
4-	स्वीकृत खदान को अवधी समाप्ति के समय केचमेंट क्षेत्र सम्मिलित करते हुए खनन योजना अनुसार तालाब निर्माण करना होगा !	अनुपालन किया जाएगा
5-	उत्खनन पट्टाधारी को स्वीकृत क्षेत्र एवं आस-पास उपलब्ध शासकीय भूमि पर 500 पौधों का वृक्षारोपण कर संधारण करना होगा ।	अनुपालन किया जाएगा
6-	परियोजना प्रस्तावक बिना अनुबंध निष्पादन के खनन कार्य प्रारम्भ नहीं करेगा !	मेरे द्वारा अनुबंध करने के उपरांत ही खनन कार्य किया जावेगा!
7-	खदान की औसत गहराई लीज अवधी की समाप्ति तक ६.०० मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए !	अनुपालन किया जाएगा
8-	खदान के पुनरुद्धार हेतु खनिज विभाग द्वारा निर्धारित राशि को कलेक्टर के पास जमा करना होगा ताकि पट्टा अवधी पश्चात भूमि सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके	अनुपालन किया जाएगा

9-	म. प्र. द्वारा सीया एवं सेक में प्रस्तुत कोई भी त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा !	मेरे द्वारा यदि कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है तो मैं उसका उत्तरदायी होऊंगा !
10	खनन स्थल को किसी उपयुक्त आवरण द्वारा ढंका जाना होगा !	अनुपालन किया जाएगा
11	म. प्र. को खनन करने के साथ साथ वृक्षारोपण करना होगा तथा वृक्षों का पांच वर्षों तक रख रखाव करना होगा !	अनुपालन किया जाएगा
12	खनिज परिवहन वन क्षेत्र से नहीं किया जावेगा !	मेरे द्वारा खनिज का परिवहन वन क्षेत्र से नहीं किया जावेगा
13	क्षेत्र के सामाजिक उठान हेतु समुचित गतिविधियां करना होगी तथा उक्त कार्य हेतु जमा राशि ग्राम पंचायत के माध्यम से उपयोग में लाना होगी.!	अनुपालन किया जाएगा
14	म. प्र. द्वारा क्षेत्र के पेड़ पौधों तथा वन्य जीवन की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाये जावेंगे !	अनुपालन किया जाएगा

मानक शर्तें

Sr. No.	Conditions	Compliance
1-	आवश्यकतानुसार सिर्फ दिन में नियंत्रित रूप से ब्लास्टिंग की जावेगी !	मेरे द्वारा नियंत्रित ब्लास्टिंग आवश्यकतानुसार दिन के समय ही की जावेगी !
2-	खदानों में वृक्षारोपण किया जावेगा तथा वृक्षों का रख रखाव सुनिश्चित किया जावेगा ! बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पेड़ नहीं गिराए जावेंगे !	अनुपालन किया जाएगा
3-	खनिज परिवहन करने हेतु हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों को तारपोलिन से ढका जावेगा ताकि परिवहन के दौरान कोई धूल आदि न उड़े !	अनुपालन किया जाएगा
4-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण अनापत्ति क्षेत्र के स्थानीय निकायों के प्रमुखों तथा सम्बंधित शासकीय विभागों के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगी !	अनुपालन किया जाएगा
1-	मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु शर्तें बदली जा सकेगी !	अनुपालन किया जाएगा
2-	किसी भी प्रकार से तथ्यात्मक जानकारी छुपाना अथवा असत्य /कूट अभिलेख प्रस्तुत करने पर उक्त पर्यावरण अनापत्ति वापस ले ली जावेगी तथा उक्त के विरुद्ध पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम , 1986 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी !	अनुपालन किया जाएगा

3-	पर्यावरण स्वीकृत की वैधता सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइन 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वेद मान्य रहेगी	अनुपालन किया जाएगा
4-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सभा से अनापत्ति में तेरा प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत थे खनन सक्रिय आरंभ की जाएगी	अनुपालन किया जाएगा
5-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा सेक की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वन मंडल अधिकारी वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित कराई जाए	अनुपालन किया जाएगा
6-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी के सुख क्षेत्र जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधि की जाए	अनुपालन किया जाएगा
7-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज वाले वाहन जीपीएस सहित पंजीकृत वहां ट्रैक्टर तालियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा	अनुपालन किया जाएगा
1-	खनन कार्य शुरू होने से पहले खनन क्षेत्र को पिलर से सीमांकन और भू संदर्भित किया जाए	अनुपालन किया जाएगा
2-	मानसून के मौसम में कोई खनन नहीं किया जाएगा	अनुपालन किया जाएगा

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

3-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का बनाया जाएगा	अनुपालन किया जाएगा
4-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लॉग बुक रखी जाए जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वहां की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाए	अनुपालन किया जाएगा
5-	अगर नदी की धारा सुखी है तो उत्खनन धारा के ताल की सबसे निचले काम की गहराई से आगे नहीं बढ़ना चाहिए	अनुपालन किया जाएगा
6-	क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किए जाएंगे इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा एवं सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से !	अनुपालन किया जाएगा
7-	श्रमिकों को हर 6 मा व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाएगा !	अनुपालन किया जाएगा
8-	खनन कार्य हेतु पानी की आवश्यकता के लिए ग्राम पंचायत तथा किसी भी पेड़ की कटाई से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए !	अनुपालन किया जाएगा
9-	खदान में प्रवेश के समय परियोजना प्रस्तावक के संबंध में एक डिस्प्ले बोर्ड विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा	अनुपालन किया जाएगा
10-	परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में दो पोकलेन का उपयोग कर सकता है दो से ज्यादा पोकलेन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी	अनुपालन किया जाएगा
11-	नदी तल पर किसी भी भारी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा खनन क्षेत्र से रेत का परिवहन नदी के किनारों को उचित	अनुपालन किया जाएगा

	बांधो द्वारा स्थिर किया जाए एवं उचित वृक्षारोपण किया जाए खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाए !	
1-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा तथा वृक्षारोपण व पीने के पानी के लिए उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा	अनुपालन किया जाएगा
2-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेत की स्थापना की जाएगी	अनुपालन किया जाएगा
3-	खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी	अनुपालन किया जाएगा
4-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा	अनुपालन किया जाएगा
5-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो भी रेत के वहां को पूरी तरह से ट्रिपल से ढककर आवाजाही की जाएगी !	अनुपालन किया जाएगा

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

ANNEXURE-3



SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)



SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)





SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)



SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)



SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)



SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)



SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

ANNEXURE-4

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

ENVIRONMENTAL CLEARANCE	 Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), MADHYA PRADESH)																	
PARIVESH <i>(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, and Virtuous Environmental Single-Window Hub)</i>	<p>To,</p> <p>The -1 PURAN LAKSHKAR The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.) 462011 -462011</p>																	
	<p>Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding</p> <p>Sir/Madam,</p> <p>This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/MIN/430049/2023 dated 14 Jul 2023. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.</p> <table border="0"> <tr> <td>1. EC Identification No.</td> <td>EC23B001MP183358</td> </tr> <tr> <td>2. File No.</td> <td>10238/2023</td> </tr> <tr> <td>3. Project Type</td> <td>New</td> </tr> <tr> <td>4. Category</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>5. Project/Activity including Schedule No.</td> <td>1(a) Mining of minerals</td> </tr> <tr> <td>6. Name of Project</td> <td>CHICHOLI SAND QUARRY</td> </tr> <tr> <td>7. Name of Company/Organization</td> <td>PURAN LAKSHKAR</td> </tr> <tr> <td>8. Location of Project</td> <td>MADHYA PRADESH</td> </tr> <tr> <td>9. TOR Date</td> <td>N/A</td> </tr> </table> <p>The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.</p> <p style="text-align: right;">(e-signed) Mujeebur Rehman Khan Member Secretary SEIAA - (MADHYA PRADESH)</p> <p>Date: 04/10/2023</p> <p><i>Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification number in all future correspondence.</i></p> <p><i>This is a computer generated cover page.</i></p>	1. EC Identification No.	EC23B001MP183358	2. File No.	10238/2023	3. Project Type	New	4. Category	B	5. Project/Activity including Schedule No.	1(a) Mining of minerals	6. Name of Project	CHICHOLI SAND QUARRY	7. Name of Company/Organization	PURAN LAKSHKAR	8. Location of Project	MADHYA PRADESH	9. TOR Date
1. EC Identification No.	EC23B001MP183358																	
2. File No.	10238/2023																	
3. Project Type	New																	
4. Category	B																	
5. Project/Activity including Schedule No.	1(a) Mining of minerals																	
6. Name of Project	CHICHOLI SAND QUARRY																	
7. Name of Company/Organization	PURAN LAKSHKAR																	
8. Location of Project	MADHYA PRADESH																	
9. TOR Date	N/A																	
																		
<p>EC Identification No. - EC23B001MP183358 File No. - 10238/2023 Date of Issue EC - 04/10/2023 Page 1 of 12</p>																		

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

संदर्भ: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/430049/2023 - प्रकरण क्र. 10238/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लाल लक्षकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 59,880 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.990 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 463, ग्राम विचौली, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय-समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा आर्नेलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. SIA/MP/MIN/430049/2023 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 20.07.2023) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेजों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्र. 651 दिनांक 03.06.2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता/ईको सेंसेटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मीटर की परिधि के बाहर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 21°31'46.96" से 21°31'53.54" और देशांतर 79°52'06.13" से 79°51'55.78" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 675वीं बैठक दिनांक 08.09.2023 में प्रकरण पर की गई अनुशंसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्तें अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लाल लक्षकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 59,880 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.990 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 463, ग्राम विचौली, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों और तदुपरांत मानक शर्तों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तें:

1. पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन सक्रिया आरंभ की जाये।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन कराकर SEIAA एवं SEAC के अनुमोदन उपरांत ही किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव एवं भराव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जावे।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलभराव क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा जायेगा।
12. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन. जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित हरित संरक्षण हेतु फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
16. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
19. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
21. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
22. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
23. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
26. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
29. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
32. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
33. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

SEAC द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें :-

34. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
35. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
36. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
37. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
38. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
39. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

40. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
41. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
42. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
43. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
44. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
45. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजटीय प्रावधान केपिटल राशि रु. 18.11 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 10.00 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।
46. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम चिचोली के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु आर.ओ. वाटर कूलर के लिए 60,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति चिचोली के खाते में जमा की जावेगी ।	60,000

47. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 03 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4660 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	1500
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	1000
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा गरारी, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं धिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	350
2	ग्राम चिचोली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2888
3	परिवहन मार्ग (1000 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, धिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	250
<input checked="" type="checkbox"/> वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।			

<ul style="list-style-type: none"> ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोल्स STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। ✓ टीप : पूंजारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्थूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बींस पौधे प्रदाय किये जायेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार सन्ध्या की पूर्ति की जा सकेगी। • शोषित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा। 	
योग	5988

48. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
49. जिला प्रशासन द्वारा वार्षिक रूप से मानसून से पहले और सितंबर के अंतिम सप्ताह में खनन पट्टा क्षेत्र में रेत के जमाव (10 एवं > 10.00 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 100 मीटर के अंतराल पर तथा <10 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 50 मीटर के अंतराल पर) का रिकॉर्ड दर्ज करे एवं आर.एल (रेडबूंस लेवल) मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड रखरखाव करे। तदनुसार जिला प्रशासन द्वारा पट्टा धारक को केवल रेत की पुनःपूर्ति की गई मात्रा की खुदाई करने हेतु आगामी वर्ष में अनुमति दी जाये।
50. उत्खनन क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन स्थल पर अक्षांस एवं देशान्श अनुसार पिलर लगाकर किया जाये एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक सूचना व सावधानी संकेत सूचना पटल पर अंकित किये जाये।
51. धूल के कणों का दमन करने के लिए सोलर पंपों/पानी के टैंकों के साथ ओवरहेड सिप्रंकलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलें तथा निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के सिप्रंकलर की व्यवस्था की जाये। पीपी द्वारा लॉग बुक राखी जाये जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाये।
52. केवल पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए जिनके पास आवश्यक पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज है वाले जीपीएस सहित पंजीकृत वाहन / ट्रैक्टर ट्रॉलियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा
53. सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुए एवं पीयूसी प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। खनिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा
54. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (डब्ल्यूबीएम/ब्लैक टॉप) बनाया जाएगा।
55. प्रमुख पुलों और राजमार्गों के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर (1 किमी) की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी। और अपस्ट्रीम से इस तरह के पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं डाउन-स्ट्रीम से ऐसे पुल से दस गुना दूरी तक, कम से कम 250 मीटर अपस्ट्रीम साइड से और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम साइड से रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी।
56. खनन की गहराई 3 मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी एक चौथाई या नदी की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और जो 7.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नदी के अंदर खनन की अनुमति नहीं है। स्थापित जल वाहक नाला ध्वालियों को स्थानांतरित, सीधा या संशोधित नहीं किया जायेगा।
57. खनन कार्य शुरू होने से पहले खनन क्षेत्र को पिलर से सीमांकन और भू-संदर्भित किया जाये।
58. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष के माध्यम से पर्यावरणीय ऑडिट कराई जाये और उस ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाये।

59. मानसून के मौसम में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
60. खनन कार्य पूरी तरह से अनुमोदित खनन योजना एवं सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार किया जाएगा तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा की खनन योजना में निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति खनन पट्टा क्षेत्र में रेत खनन कार्यों हेतु पर्याप्त है।
61. अगर नदी की धारा सूखी है तो उत्खनन धारा के तल की सबसे निचले कम की अबाधित गहराई से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो स्थानीय हाइड्रोलॉजिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
62. खनन पूरा होने के बाद, गड्ढे के किनारे को 2.5:1 के अनुपात पर प्रवाह की दिशा में ढलान पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
63. एम.पी.पी.सी.बी से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाएगी और एम.पी.पी.सी.बी. की सिफारिश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को स्थापित करना होगा।
64. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किये जायेंगे। इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत/सक्षम प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा।
65. श्रमिकों के छह मासिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। खदान के स्थल कार्यालय, विश्राम गृहों आदि को सोलर लाइट से रोशन और हवादार किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को लीज अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा।
66. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम कार्यालयीन शापन पत्र संख्या एफ.सं. 22-34/2018-आईए। III, दिनांक 16/01/2020 के अनुसार, पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व में अलग से बजट का प्रावधान कराई भूमि के विकास और रखरखाव के लिए बबनय जाये और ये जानकारी वार्षिक पर्यावरण विवरण में दी जाये।
67. यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग के कारण को वार्षिक रिटर्न (विवरणी) में सम्मिलित किया जाये।
68. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसईएसी और एसईआईएए में प्रस्तुत दस्तावेदजो में विसंगति (यदि कोई) पाए जाने पर परियोजना प्रस्तावक स्वयं जिम्मेदार होगा।
69. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढे एवं भूमि के पुनरुद्धार की राशि का कार्य खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन विभाग द्वारा गतिविधि के लिए अनुमानित उचित राशि को खान में खनिज की समाप्ति होने के उपरांत समस्त गतिविधि का जिम्मा कलेक्टर के पास जमा करना होगा।
70. खनन कार्य हेतु पानी की आवश्यकता के लिए ग्राम पंचायत तथा किसी भी पेड़ की कटाई से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
71. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे हैं एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तों पालन सुनिश्चित किया जाये।
72. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
73. अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण मे, पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।

74. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद, चरागाह के विकास एवं रख-रखाव हेतु एम.ओ.ई. एफ.एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22&34/2018-आई.ए. III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई.एम.पी और सी. ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।
75. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z&11013/57/2014&IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मेटिगीटिव उपायों का पालन करेगा।
76. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।
77. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबंध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :
- खदान के मालिक का नाम ,संपर्क विवरण आदि।
 - परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में) मय अक्षांश देशांश।
 - खदान की लम्बाई, चौड़ाई एवं स्वीकृत गहराई।
 - माईनेवल पोटेंशियल ऑफ रेत खदान।
 - पर्यावरण स्वीकृति एवं एमपीपीसीवी की कन्सेन्ट अनुसार परियोजना की स्वीकृत उत्पादन क्षमता।
 - खनन विधि (मैनुअल/सेमी मैकेनाइज्ड)।
78. NGT (CZ) के आदेश क. 66/20 दिनांक 19/10/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए का निर्देश पत्र संख्या 5084 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार रेत खनन के मामले में पीपी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को लागू किया जाना चाहिए :
- i. लीजधारक को परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में (02) पोवलेन्स का उपयोग कर सकता है 02 से जादा पोवलेन्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
 - ii. जिला प्रशासन द्वारा पहले वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रभाव के लिए साइट का आकलन करने के उपरांत ही निरंतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये।
 - iii. कार्य की अंतिम गहराई वर्तमान प्राकृतिक नदी तल से 01 मीटर और उपलब्ध रेत की मोटाई प्रस्तावित खदान स्थल से 03 मीटर होगी।
 - iv. रेत उत्खनन किसी भी परिस्थिति में भूजल स्तर को प्रभावित नहीं किया जाए। यदि भूजल स्तर 01 मीटर पर अनुमत गहराई के भीतर होता है, तो उत्खनन कार्य तुरंत रोक दिया जाये।
 - v. रेत का खनन के दौरान किसी भी तरह से नदी के पानी की गंदलापन (टर्बिडिटी), वेग और प्रवाह को प्रभावित न किया जाए।
 - vi. खनन गतिविधि की निगरानी तालुक स्तर के बल द्वारा महीने में एक बार भौतिक सत्यापन करके की जाएगी
 - vii. खनन बंद होने के बाद, लाइसेंसधारी खदान में लगाए गए सभी शेड और रेत खदान के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को तुरंत हटा दे, जहाँ तक संभव हो, बिना किसी कृत्रिम बाधा के नदी को अपना सामान्य मार्ग फिर से शुरू करने के लिए सड़कों/मार्गों को समतल किया जाये।
 - viii. खनन से किए गए गड्ढों को जहाँ आवश्यक हो वहाँ वापस भर दिया जाना चाहिए और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्षेत्र उपयुक्त लैंडस्केप होना चाहिए
 - ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खदान की सीमा और गहराई के संबंध में मानकों का पालन करे एवं खदान की सीमा का उचित रूप से सीमांकन किया जाए।

79. नदी के किनारों पर स्थिरीकरण के लिए खस स्लिप्स और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किसी भी उपयुक्त सरकार के माध्यम से गांव में खनिज निकासी सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव की जांच के लिए संबंधित डी.एफ.ओ./ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार पर्याप्त विशेषज्ञता वाली एजेंसी (जैसे वन विकास निगम/वन समिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में उक्त कार्य करवाया जाये।
80. पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ.बी. डंप (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्य के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत/मृत पौधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों, जीवों इत्यादि को कोई हानि न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी.एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये।
81. संबंधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रित प्रजातियां जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा, वृक्ष की प्रजातियाँ रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए।
82. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले, आस-पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाएँ। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "वायुदूत ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। पी.पी द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (मडिकल गार्डन) प्रस्तावित है उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किया जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।
83. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण के लिये पानी की उचित व्यवस्था की जाये।
84. बी-1 श्रेणी की परियोजनाओं में प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियाँ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए। एवं बी-2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाए।
85. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-
रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (व्यनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कड़वा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वार्षिक औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवीं, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी-प्रजाति।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

20. मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
21. तथ्यात्मक डेटा को छुपाने अथवा झूठे / गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाही कि जा सकती है।
22. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील, करना हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल -
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


(राजेश मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनिथल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चलावदम उतममकपदह म्दजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

(ब) मानक शर्तें

1. परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।
2. नदी तल पर किसी भी भारी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा।
3. खनन क्षेत्र से रेत का परिवहन लदान स्थल तक केवल ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही किया जायेगा।
4. नदी कर्ब पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर, के द्वारा किया जाये ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित न हो सके।
5. खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये, खनन योजना का उल्लंघन किये जाने पर एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृत रद्द कर दी जाएगी।
6. यह सुनिश्चित किया जाए कि गौण खनिज के उत्खनन से नदी तल बेसिन, जहां खनन कार्य किया जाता है, की अंतर्निहित मिट्टी की विशेषताओं में किसी प्रकार का बदलाव तो नहीं हो रहा।
7. यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन कार्य से नदी के पानी का गंदलापन (टर्बिडिटी), वेग और प्रवाह पैटर्न को किसी भी तरह बाधित न किया जाये।
8. यह सुनिश्चित किया जाये कि नदी के तल पर अथवा खनन क्षेत्रों के निकट कोई जीव-जंतु घोंसले के लिए निर्भर तो नहीं है।
9. विचाराधीन सभी प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जायें।
10. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
11. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये। तथा गाँव की जिन सड़कों से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।
12. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायें।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
14. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।
15. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण /बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जायें।
17. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाये और उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
18. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, (जैसा लागू हो) को भी प्रस्तुत की जाये।







कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail - modgambal@mp.gov.in

::कारण बताओ नोटिसा::

म.प्र. गौण खनिज नियम 2022 म.प्र. राजपत्र दिनांक 08.04.2022 देखिए नियम 18(3)

क्रमांक / 657 / खनिज / 2025

बालाघाट दिनांक 21/08/2025

प्रति,

उल्लंघनकर्ता - मेसर्स आर.जी. एण्ड एसोसियेट्स
(माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) अधिकृत श्री रमेश दुबे
निवासी- वार्ड नं. 15 बैहर रोड जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी जिला बालाघाट के ख.न. 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र पर स्वीकृत रेत खदान में मान. एन.जी.टी. के प्रकरण क्रमांक 1262/2024 की जांच टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उक्त स्वीकृत क्षेत्र के बाहर क्षेत्र में खनिज का अवैध उत्खनन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- खनि निरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 28.08.2025।

-----:000:-----

उपरोक्त विषयांतर्गत, लेख है कि खनि निरीक्षक के प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28.08.2025 अनुसार ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में तत्समय एम.डी.ओ. मेसर्स आर.जी. एसोसिएट्स को स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र से बाहर क्षेत्र में अवैध उत्खनन किये जाने बावत् मान. एन.जी.टी. सेंट्रल जोन नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 1262/2024 में दिनांक 20.11.2024 द्वारा पारित आदेश अनुसार गठित संयुक्त समिति द्वारा उक्त शिकायत का दिनांक 13.12.2024 को निरीक्षण किया गया। उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र के बाहर आपके द्वारा खनिज रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है। जो कि जांच टीम के माप अनुसार लंबाई लगभग 510 मी., चौड़ाई लगभग 120 मी. एवं औसतन गहराई 01 मी. होना पाया गया, जो कि कुल उत्खनन मात्रा 61200 घ.मी. होता है।

उक्त के संबंध में अपना समाधान कारक जवाब 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 614 दिनांक 08.08.2025 द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, आपके द्वारा उक्त नोटिस में नियम समयावधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता उक्त प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु आपको रुचि नहीं है तथा उक्त उल्लंघन आपके द्वारा किया गया है।

उपरोक्तानुसार एम.डी.ओ. द्वारा ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र की सीमा से बाहर खनिज रेत का उत्खनन किया जाना निविदा/अनुबंध की शर्त एवं म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम) 2022 के उपनियम के नियम 18 के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण म.प्र. रेत नियम 2022 के नियम 18 के प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है, जो कि निम्नानुसार है :-

1.	अवैध खनिज रेत उत्खनन क्षेत्र का विवरण	ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर लंबाई 510 मी., चौड़ाई लगभग 120 मी. एवं औसतन गहराई 01 मी.।
2.	अवैध खनन कर्ता का नाम	मेसर्स आर.जी. एण्ड एसोसियेट्स (माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) अधिकृत श्री रमेश दुबे निवासी- वार्ड नं. 15 बैहर रोड जिला बालाघाट (म.प्र.)
3.	अवैध उत्खनित खनिज रेत की मात्रा	61200 घ.मी.
4.	खनिज रेत की रॉयल्टी दर	125/- प्रति घ.मी.
5.	अवैध खनन किये खनिज रेत की रॉयल्टी रु.	76,50,000.00
6.	रॉयल्टी का 15 गुना अर्थशास्त्र राशि रु.	11,47,50,000.00
7.	पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि नियम 18 के उपनियम 2 में विहित प्रावधान के तहत।	11,47,50,000.00
8.	कुल अधिरोपित राशि रु.	22,95,00,000.00/-

// 2 //

उपरोक्तानुसार मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(4) के प्रावधानों के तहत प्रशमन किया जाने की प्रत्याशा में प्रशमन शुल्क 1,000/- रु० खनिज मद में जमा कर कुल अधिरोपित अर्थदण्ड राशि 22,95,00,000/- रुपये खनिज मद में जमा कर प्रशमन किया जा सकता है। अन्यथा कि स्थिति में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(6) के प्रावधान के तहत कुल शारित की दुगुना राशि 45,90,00,000/- रुपये (पैंतालीस करोड़ नब्बे लाख रुपये) अधिरोपित किया जावेगा एवं नियम 18(5) के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

अतः उपरोक्त के संबंध में आप अपना लिखित जवाब इस कार्यालय में 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। अन्यथा मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।



कलेक्टर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

बालाघाट दिनांक 29/08/2025

पृ० क्रमांक/657-1/खनिज/2025
प्रतिलिपि:-

खनि निरीक्षक, जिला बालाघाट को सूचनार्थ एवं लेख है कि संबंधित को पत्र तामिल कराकर पावती अभिस्वीकृति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।



कलेक्टर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

-: भारत शासन सेवार्थ :-

प्रति,

मैसर्स आर. जी. एंड एसोसिएट्स (MDO)
अधिकृत प्रतिनिधि (पार्टनर) श्री रमेश
दुबे, पता - पार्स नं. 15, बैंगर रोड बालाघाट
(म.प्र.) 481001



प्रा.स. 657

प्रेषक :-

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

Balaghat H.O 481001
01/09/2025 16:34:22

भारतीय डाक



Coll. Amt: 17.00, Wt:
Base Amt: 15.00, CGST: 1.00

India Post

EI240978152IN

IVR NO: 18002565888

From: Hub

Coll. Amt: 17.00, Wt: 25 JACHWALI

Del PO: NH15 BAIHAR ROAD, BALAGHAT, 481001

M/s R.G. AND ASSOCIATES**M/s Shri Ramesh Prasad Dubey And Shri Girish Pathak (Consortium)**

Phone No. - 7828587263

Email Id - lilharekamlesh2@gmail.com

Add. - Ward No.15, Baihar Road, Balaghat (MP)No. 106.....Date 12-09-2025

To,

The Collector, Mineral
Branch,
District Balaghat, M.P.**Dated:12.09.2025****Subject:** Reply to Show Cause Notice No. 657 / Mineral / 2025 dated 8.8.2025 and 29.08.2025 regarding alleged illegal sand mining at Khasra No. 463, Village Chicholi, Tehsil Khairlanji, District Balaghat.**Respected sir/ma'am,**

That I, Shri Ramesh Dubey, authorized representative of M/s R.G. & Associates (Mine Developer-cum-Operator), Ward No. 15, Baihar Road, District Balaghat, most respectfully submit this reply in response to the Show Cause Notice dated 8.8.2025 and **29.08.2025**, whereby allegations have been levelled against the Applicant regarding excavation of sand beyond the sanctioned lease boundary in the approved mining lease area bearing Survey No. 463, Village Chicholi, Tehsil Khairlanji, District Balaghat, admeasuring 4.990 hectares, for the period from **02.05.2024 to 13.12.2024**.

That at the very outset, it is submitted that the said Show Cause Notice is wholly unsustainable both in law and on facts, as the same has been issued on the sole basis of inspection of Joint Committee Report Applicant's on 13.12.2025 after surrender of mining lease application on **11.11.2024**, and SCN is also founded upon irregular, arbitrary, and procedurally flawed proceedings, which are contrary to the statutory scheme governing mining operations.

Received
at
5:32pm**Background**

That pursuant to order dated 20.11.2024 passed by the Hon'ble NGT, Central Zone Bench, New Delhi in O.A. No. 1262/2024, a Joint Committee comprising representatives of the Central Pollution Control Board, District Magistrate, Balaghat, Integrated Regional Office (MOEF&CC) and M.P. Pollution Control Board was constituted. That the said joint-Committee inspected the site on

That the Joint Committee, in its report dated 23.12.2024, alleged that excavation had been carried out by the Applicant beyond the sanctioned lease boundary on the Maharashtra side of River Banwanthadi. It was observed that the geo-coordinates in the approved Mining Plan and Environmental Clearance did not tally with the physical pillars erected at site, and further that efforts had allegedly been made to conceal excavation activity by levelling the area with machinery prior to inspection. The report further claimed that excavation was also carried out outside the approved lease area over an extent measuring approximately 510 meters in length, 120 meters in width and one meter in depth, involving nearly 61,200 cubic meters of sand, causing a royalty loss of about Rs. 76,50,000/-, which was treated as revenue theft by the Applicant.

That on the basis of these allegations, it was stated that the Applicant had violated tender and contractual conditions as well as the provisions of Rule 18 of the Madhya Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2022, leading to issuance of a show cause notice dated 08.08.2025 by the Collector, Mining Branch, Balaghat, followed by Office Letter dated 28.08.2025 noting non- submission of reply, and culminating in registration of FIR dated 30.08.2025 for alleged illegal excavation.

Mismatching of geo-coordinates and pillars

That the allegation regarding mismatch between the geo-coordinates in the approved Mining Plan and Environmental Clearance, and the physical pillars erected at site, is wholly misconceived, as the Applicant has neither erected nor demarcated any pillars on the lease boundary. The demarcation and erection of boundary pillars is the exclusive statutory function of the Mining Department and allied authorities, who alone are responsible for fixation of coordinates and erection of such physical pillars at site. The Applicant, being merely a Mine Developer- cum-Operator, operates strictly within the lease area demarcated and handed over by the authorities and cannot be held responsible for any discrepancy in location of pillars vis-à-vis the approved mining plan. If at all there exists any variation between the sanctioned geo-coordinates and the erected pillars, the same is attributable solely to the error or negligence of the concerned authorities themselves, and the Applicant cannot be fastened with liability for acts over which it had neither any control nor authority.

Show-cause Notice dated 08.08.2025

That however, the show-cause notice dated 08.08.2025 was received by the applicant only on 19.08.2025, whereafter a 15 days' time was sought on 29.08.2025 via e-mail and speed post as the MDO was no longer operating due to surrender and required time to examine records and agreement/documents to file proper response but no such documents have been supplied yet. In the said reply, the MDO pointed out inter alia:

1. that the contract period had already expired on 12.02.2025,

- ii. that after expiry the office of the MDO had wound up operations,
- iii. that employees had ceased working,
- iv. that requisite records were not readily available, and therefore a period of 15 days' time was sought to collect and furnish the necessary documents.

Contradictory reports/responses

That it is pertinent to mention herein that in the Suo-Moto Original Application before the Hon'ble NGT, the Madhya Pradesh Pollution Control Board, in its reply dated 18.03.2025, categorically submitted that:

- i. Any conclusion could only be drawn after a proper demarcation of mining lease boundaries by the State Mining Corporation and the Collectorate, Balaghat, through non-satellite-based methods such as *theodolite surveying*.
- ii. That the exclusive reliance on third-party satellite applications may lead to inaccuracies.
- iii. That the joint committee had also recommended proper demarcation at the earliest, and in this regard, a letter dated 13.03.2025 was already issued by the MPPCB to the District Collector, Balaghat, and the Mining Department.
- iv. That the MPPCB further submitted that only if, upon such demarcation, excavation is established outside the lease boundary, Environmental Compensation (EC) will be imposed, calculated on the basis of the Net Present Value (NPV) of the mineral extracted.

That further, in the same NGT proceedings, New Delhi proceedings, the reply filed by the Director, Mining and Geology, Government of Madhya Pradesh, and the District Magistrate, Balaghat, dated 20.05.2025, in, clearly records that:

- i. The GPS coordinates mentioned in the mining plan correspond to the actual mining area. During demarcation, no excavation was found beyond the lease boundary.
- ii. A subsequent spot inspection found four tractor-trolleys engaged in excavation outside the boundary wall and in illegal transportation, for which separate action was taken against the violators by registering cases and imposing a penalty of ₹7,98,750/-.

Importantly, the name of the present applicant was not included in the said proceedings.

That also, a *Mauka Panchnama* Report dated 19.03.2025 of Survey No. 463, Village Chicholi, was prepared in compliance of MPPCB's letter dated

664 77
13.03.2025. It recorded that the land was government land under Panchayat control with no encroachment or illegal mining activity detected at the time of inspection by villagers from Maharashtra side.

That in addition, a DGPS Survey Report dated 05.05.2025 commissioned by the *M.P. State Mining Corporation Ltd.* was carried out to precisely fix lease boundary points using Differential Global Positioning System (DGPS).

That it is also significant to note that the Mining Officer who was in charge during the subsistence of the Applicant's lease confirmed the never reported any violation. Reliance on subsequent contrary reports, prepared after expiry of the lease, is wholly misplaced and contrary to contemporaneous records. Half Compliance Report of project proponent also does not speak about any violation or illegal mining.

That in view of the above, it is manifest that the statutory authorities themselves have taken inconsistent and mutually contradictory stands. While one set of authorities have confirmed that the excavation was confined within the lease boundary, others have alleged otherwise. Such contradictions in official records clearly establish that no conclusive or definite finding can be drawn against the Applicant at this stage, and the factual position remains disputed. The entire substratum of the notice rests solely upon the report of the Joint Committee constituted pursuant to the orders of the Hon'ble National Green Tribunal. However, the contemporaneous reply submitted by the Director, Mining and Geology, Government of Madhya Pradesh, and the District Magistrate, Balaghat, being the competent statutory authorities, has been completely disregarded.

Wrong method of measurement

That the entire substratum of the Show Cause Notice is based on the report of the Joint Committee constituted pursuant to orders of the Hon'ble National Green Tribunal, which relied upon Google Earth images instead of the statutorily mandated DGPS (Differential Global Positioning System) survey as mandated in Rule 5 of MP Sand Mining Rule 2019. Such reliance is contrary to law, arbitrary, and void ab initio.

That, the measurement of the mine done by the Joint Committee was done using mobile phones and not using DGPS. DGPS is conventionally used in such use cases. Moreover, the measurements and coordinates taken from a mobile lack credibility as the same vary according to the make of the mobile Phone. However, we have carried mining operation at the site allotted by the authorities.

That no intimation or notice was ever given to the Applicant regarding the said inspection by the Joint Committee. Neither the Applicant nor his employees were present or allowed to participate. The inspection conducted behind the back of the Applicant is violative of principles of natural justice and cannot be relied upon to fasten liability.

That no statutory provision under the M.P. Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rules, 2019 (as amended in 2023) contemplates reliance on such third-party applications for boundary determination. On the contrary,

the Rules mandate demarcation through prescribed statutory procedures of DGPS by competent authorities (Collector), which alone carry binding force. Any deviation from such mandatory procedure vitiates the proceedings in law, and therefore, the entire substratum of the present FIR and criminal case stands rendered illegal, arbitrary, and unsustainable.

That in view of the above, the very foundation of the present proceedings rests on an illegal, arbitrary, and procedurally defective method of measurement, rendering the entire substratum of the Show Cause Notice liable to be set-aside

No Recovery

That it is submitted that no recovery whatsoever of sand has been made either from the possession of the Applicant or at his instance, nor were any machines, vehicles, or workers of the Applicant found at or near the alleged site of excavation. The absence of any recovery or seizure directly attributable to the Applicant clearly demonstrates that the allegations of excavation beyond the lease boundary are founded purely on presumption and conjecture, without any supporting evidence.

That in fact, the possibility of unauthorized excavation by local villagers cannot be ruled out, a fact earlier brought to the notice of the authorities by the Applicant through written complaints lodged prior to the present proceedings. In absence of any recovery or incriminating material from the Applicant, fastening liability upon him is arbitrary, illegal, and unsustainable in law.

Theft by Villagers

That the alleged excavation of 250 meters, if at all, was carried out by local villagers, who have been repeatedly reported by the Applicant to the authorities. Written complaints were lodged by the Applicant well in advance, but instead of acting against the villagers, the authorities have misdirected the action against the Applicant. Even the concerned Panchayat has confirmed such acts of villagers. This area falls outside the Mining Lease granted to applicant toward Maharashtra border.

That, the MDO was not able to perform the mining operations properly owing to the threats and illegal mining activities prevailing in the area. The same fact is evident from the Report of the Joint Committee constituted in OA No 1262/2024 on dated 13.12.2024 wherein it is explicitly mentioned at page number 5 that M/S RG Associates has mined a total quantity of just 864 Cubic Meters out of the total production capacity of 59880 Cubic meters.

The Report of the Joint committee has only made a passing reference about the already prevailing illegal sand mining operations in the area and the complaint filed by the Sarpanch of Village Chicholi on 09.01.24, much before the date my client assumed responsibility as the MDO. Interestingly the above-mentioned complaint finds mention of two miscreants/illegal sand miners also. Moreover, we on numerous occasions after assuming charge as the MDO had filed complaints regarding the illegal mining operations and the threats received from the illegal miners of the area, but no action of any kind was ever taken by the authorities.

That, your office has already issued a letter dated 24.03.2025 to the Regional Officer, MPPCP regarding the illegal miners operating at the Chicholi Sand quarry and no illegal mining activity was found in the allotted mine area. However, upon inspection it was observed that illegal mining activity was observed outside the allotted mine area. Pursuant to which penal action was taken against 6 violators under Madhya Pradesh Minerals (Prevention of illegal mining, transportation and storage) Rules, 2006. It is to be noted that my client was not mentioned as one of the violators in the above-mentioned letter.

That it is pertinent to note that in the reply filed before the Hon'ble National Green Tribunal by the Director, Mining and Geology, Government of Madhya Pradesh, as well as by the District Magistrate, Balaghat, the names of certain individuals specifically engaged in theft of sand from the area were duly recorded. Despite this, no action has been taken against the actual culprits, and instead, the present Applicant has been wrongly implicated.

That the Applicant himself had addressed written communications to the authorities, requesting immediate action against the villagers who were carrying out theft of mineral sand. However, instead of acting on such specific information and curbing the illegal activities of the villagers, the authorities have misdirected their action and arbitrarily chosen to prosecute the Applicant. Such misdirection of responsibility is not only unjust but also contrary to law, as it seeks to punish an innocent leaseholder for acts committed by unrelated third parties, despite prior notice and knowledge of the authorities.

Inordinate Delay

That the show-cause notice dated 08.08.2025 was itself issued almost eight months after the alleged inspection of 13.12.2024, and served upon the Applicant only on 19.08.2025, after surrender application on 11.11.2024 the expiry of the lease period. Such an inordinate and unexplained delay in initiating proceedings vitiates the very basis of the action and renders the impugned notice illegal, arbitrary, and contrary to record.

Misapplication of Rule 18 of the M.P. Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2022

'Rule - 18. Penalty for illegal extraction of mineral or illegal storage of mineral or their product.

- (1) Whenever any person is found extracting or storing or on whose behalf such extraction or storing is being made in violation of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 or Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rules, 2019 or under these rules or any other rule prevailed by department*

(2)

That the reliance placed on Rule 18 of the M.P. Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2022, is wholly misconceived and unsustainable. Rule 18 contemplates the imposition of penalty only in cases where a person is *found extracting* or *found storing* mineral, or where such extraction or storage is being carried out *on his behalf*. The language of the Rule itself mandates a contemporaneous finding of illegal extraction or storage from the possession or instance of the alleged violator.

That in the present case, no such recovery has been made from the possession of the Applicant, nor were any machines, vehicles, or labourers of the Applicant ever found engaged in excavation or storage at the site. The allegations are based solely on presumptions drawn from Google Earth images and a Joint Committee report prepared behind the back of the Applicant, without any physical recovery or on-site detection linking the Applicant to the alleged act.

That in absence of any contemporaneous finding of the Applicant being found extracting or storing mineral, the invocation of Rule 18 is directly contrary to the express language of the Rule itself, and therefore arbitrary, without jurisdiction, and unsustainable in law.

Enclosures:

- i. A copy of the reply dated 29.08.2025 to the show-cause notice dated 08.08.2025 along with the copy of the mail and speed post receipt
- ii. A copy of the reply dated 18.03.2025 filed by the Madhya Pradesh Pollution Control Board in Suo-Moto Original Application before the Hon'ble NGT
- iii. A copy of the reply submitted by the Director, Mining and Geology, Government of Madhya Pradesh, and the District Magistrate, Balaghat, dated 20.05.2025, in Suo-Moto Original Application before the Hon'ble NGT
- iv. A copy of the *Mauka Panchnama* dated 19.03.2025
- v. A copy of the DGPS Survey Report dated 05.05.2025

Respectfully

रमेश दुबे

Proprietor

**Shri Ramesh Dubey Authorized
Representative M/s R.G. &
Associates**

Ward No. 15, Baihar Road, Balaghat, M.P. 12.09.2025

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): वालाघाट P.S. (थाना): खैरलॉजी
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0256 Year (वर्ष): 2025
Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 30/08/2025 18:19 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	317(5)
3	खान अधिनियम, 1952	4
4	खान अधिनियम, 1952	21
5	मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1998	53(1)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): दरमियानी दिन	Date From (दिनांक से): 02/05/2024	Date To (दिनांक तक): 13/12/2024
Time Period (समय अवधि):	Time From (समय से): 06:00 बजे	Time To (समय तक): 18:00 बजे

- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 30/08/2025
Time (समय): 17:56 बजे

- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 015

Date & Time (दिनांक और समय): 30/08/2025 18:05

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

District:

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 16 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): स्वीकृत रेत घाट, ग्राम चिचोली मोवाड

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): खनिज निरीक्षक सुरेश कुमार कुलस्ते कि ओर से कार्य प्रभार नवनीत कुमरे

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1985 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना खैरलाजी, खैरलाजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	थाना खैरलाजी, खैरलाजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय): पुलिस अधिकारी

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9424925422

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	रमेश दुवे /RAMESH			1. वार्ड नं 15, बैहर रोड, बालाघाट, बालाघाट कोतवाली, बालाघाट,

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

DHUBE			मध्य प्रदेश, भारत
-------	--	--	-------------------

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

कम्प्यूटर आवेदन पेश करने पर

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	अन्य	अन्य परिवहन	आरोपी द्वारा स्वीकृत रेत खदान से अवैध रूप उत्खनन करना	7,65,00,000.00

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में): 7,65,00,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मै थाना खैरलांजी मे थाना एचसीएम के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक 30.08.2025 को आवेदक खनिज निरीक्षक सुरेश कुमार कुलस्ते पिता श्री नामसिंह कुलस्ते उम्र 38 निवासी कार्या. कलेक्टर (खनिज शाखा जिला बालाघाट) द्वारा एक लिखित कम्प्यूटर टाईपिंग आवेदन पत्र पेश किया जिसमे आरोपी रमेश दुबे निवासी वार्ड नं.15 बैहर रोड बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा स्वीकृत रेत खदान से अवैध रूप उत्खनन करने के संबंध में आवेदन पेश किया आवेदन का अवलोकन पर थाना खैरलांजी के लोकल शिकायत रजिस्टर क्र. 242/2025, दिनांक 30.08.2025 पर दर्ज कर आरोपी रमेश दुबे निवासी वार्ड नं.15 बैहर रोड बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.) के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 303(2), 317(5) BNS, 4/21 खान खनिज अधि 1952, 53 (1) म.प्र. गौड़ खनिज नियम 1996 का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आवेदन पत्र नकल जेल है- प्रति, थाना प्रभारी थाना खैरलांजी, जिला-बालाघाट (म.प्र.) विषय :- ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र पर स्वीकृत रेत खदान में मान. एन.जी.टी. के प्रकरण क्रमांक 1262/2024 की जच टीप द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उक्त स्वीकृत क्षेत्र के बाहर क्षेत्र खनिज रेत का अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज/विधिसंगत कार्यवाही करने वावत्। संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 660 दिनांक 28.08.2025 00--उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के पालन में लेख है कि ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में तत्समय दिनांक 02.05.2024 से दिनांक 13.12.2024 के मध्य एम.डी.ओ. मेसर्स आर.जी.एसोसियेट को स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र से बाहर क्षेत्र में अवैध उत्खनन किये जाने वावत् मान. एन.जी.टी. सेंट्रल जोन नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 1262/2024, में दिनांक 20.11.2024 द्वारा पारित आदेश अनुसार गठित संयुक्त समिति द्वारा उक्त शिकायत का दिनांक 13.12.2024 को निरीक्षण किया गया। उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा संयुक्त जच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई प्रस्तुत रिपोर्ट निम्नानुसार आरोप आक्षेपित किये गये जो निम्नानुसार है :

-1. The geo-cordinate given in mining plan and the physical pillars co-ordinate as recorded during field visit were mapped on the Google Earth Software and found that the area where the Mine Developer Operator (MDO) has crected mine pillars is not as per the mine lease area recorded in Mining plan Environmental clearance. 2 The geo-graphical location of the actual mine boundary as per approved mine plan and the boundary found defined during the field visit is as .) tabulated below.

Boundary Points Geo-coordinates of the mine lease in Chicholi as per approved mine Plan Geo-coordinates of the pillars found erected during field visit
 on Latitude Longitude Latitude Longitude A213151.33N795207.01E213152.
 56N795231.26E213153.54N795155.78E213147.53N795229.79E213148.
 75N795154.73E213146.80N795215.28E213140.90N795206.13E213151.
 11N795215.77E3. On the day of field visit i.e. 13.12.2024, it was clearly evident that apart from the mining in the site at which pillars have been erected, mining has also been done in the area coordinates as given in the mine plan and it seems efforts have been made before 1-2 days to level this lease area by using machinery to hide the mining signs. The marks of tractor other vehicles tyres were clearly visible during site visit. The committee asked to Sh Khushil Kumar Muhaare, Patwari, Muvaad (Additional Charge of Chicholi village) to carry out a tentative measurement of the area wherein excavation was carried out as claimed by the villagers. The measurement states that on the bank, the average height of the sand bed was observed 1.67 m varying from 1 to 3 m. The levelled area upto the bank was spread in average width of 120 m and in the total length of 510 M. उक्तानुसार ग्राम चिचौली तह. खैरलाजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र के बाहर बिन्दु क्रमांक 03 अनुसार एम.डी.ओ. द्वारा खनिज रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है, जो कि जच टीम के माप अनुसार लंबाई लगभग 510 मी., चौड़ाई लगभग 120 मी. एवं औसतन गहराई 01 मी. होना पाया गया, अवैध उत्खनित खनिज रेत की कुल मात्रा 61200 घ.मी. होता है। उक्त के संबंध में एम.डी.ओ. को कारण बताओ सूचना पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक 614 दिनांक 08.08.2025 को जारी किया गया था। कारण बताओ सूचना पत्र का जबाब आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, जबाब प्रस्तुत न किये जाने के कारण एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 660 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार एम.डी.ओ. के द्वारा किया गया उक्त कृत्य म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम) 2022 के उपनियम के नियम 18 के प्रावधानों के उल्लंघन होने के कारण अवैध उत्खनन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कुल उत्खनित खनिज रेत की रायल्टी राशि रू. 76,50,000.00 प्रथम दृष्टया शासन की राजस्व की चोरी मेसर्स आर.जी. एण्ड एसोसियेटेड (माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) अधिकृत श्री रमेश दुवे निवासी- वार्ड नं.15 वैहर रोड जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा किया जाना प्रतीत होता है। अतः संदर्भित पत्र अनुसार अवैध उत्खननकर्ता मेसर्स आर.जी. एण्ड एसोसियेटेड (माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) अधिकृत श्री रमेश दुवे निवासी- वार्ड नं.15 वैहर रोड जिला बालाघाट (म.प्र.) के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज/विधिसंगत कार्यवाही करने का कष्ट करें। हस्ताक्षर अंग्रेजी में अपस्ट खनि निरीक्षक जिला-बालाघाट (म.प्र.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है ।) or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation:

(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): CHANDRA SHEKHAR CHOUDHARY

No.(सं.): 626

Rank (पद): OFFICIATING ASST SUB INSPECTOR

to take up the investigation

(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई


FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम): NAVNEET KUMRE

Rank (पद): प्रधान आरक्षक-कार्यवाहक

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): RAM SINGH PATEL

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): 11



14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (बनावट)	Height (cms.)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
Deformities/	Teeth	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s)	Dress Habit(s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)				Others (अन्य)	
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)		
14	15	16	17	18	19	20

प्रति,

थाना प्रभारी

थाना खैरलांजी, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र पर स्वीकृत रेत खदान में मान. एन.जी.टी. के प्रकरण क्रमांक 1262/2024 की जाँच टीप द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उक्त स्वीकृत क्षेत्र के बाहर क्षेत्र खनिज रेत का अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज/विधिसंगत कार्यवाही करने बावत।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 660 दिनांक 28.08.2025

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के पालन में लेख है कि ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में तत्समय दिनांक 02.05.2024 से दिनांक 13.12.2024 के मध्य एम.डी.ओ. मेसर्स आर.जी.एसोसियेट को स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र से बाहर क्षेत्र में अवैध उत्खनन किये जाने बावत मान. एन.जी.टी. सेंट्रल जोन नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 1262/2024, में दिनांक 20.11.2024 द्वारा पारित आदेश अनुसार गठित संयुक्त समिति द्वारा उक्त शिकायत का दिनांक 13.12.2024 को निरीक्षण किया गया। उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा संयुक्त जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत रिपोर्ट निम्नानुसार आरोप आक्षेपित किये गये। जो निम्नानुसार है :- 1. The geo-coordinate given in mining plan and the physical pillars' co-ordinate as recorded during field visit were mapped on the Google Earth Software and found that the area where the Mine Developer Operator (MDO) has crected mine pillars is not as per the mine lease area recorded in Mining plan & Environmental clearance. 2& The geo-graphical location of the actual mine boundary as per approved mine plan and the boundary found defined during the field visit is as .) tabulated below.

Boundary Points	Geo-coordinates of the mine lease in chicholi as per approved mine Plan		Geo-coordinates of the pillars found erected during field visit on	
	Latitude	Longitude	Latitude	Longitude
A	21°31'51.33"N	79°52'07.01"E	21°31'52.56"N	79°52'31.26"E
B	21°31'53.54"N	79°51'55.78"E	21°31'47.53"N	79°52'29.79 E
C	21°31'48.75"N	79°51'54.73"E	21°31'46.80"N	79°52'15.28"E
D	21°31'46.96"N	79°52'06.13"E	21°31'51.11"N	79°52'15.77 E

3. On the day of field visit i.e. 13.12.2024, it was clearly evident that apart from the mining in the site at which pillars have been erected, mining has also been done in the area coordinates as given in the mine plan and it seems efforts have been made before 1-2 days to level this lease area by using machinery to hide the mining signs. The marks of tractor & other vehicles tyres were clearly visible during site visit. The committee asked to Sh Khushil Kumar Muhaare, Patwari, Muvaad (Additional Charge of Chicholi village) to carry out a tentative measurement of the area wherein excavation was carried out as claimed by the villagers. The measurement

states that on the bank, the average height of the sand bed was observed 1.67 m varying from 1 to 2 m. The levelled area upto the bank was spread in average width of 120 m and in the total length of 510 M.

उक्तानुसार ग्राम चिचौली तह. खैरलांजी के खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र के बाहर बिन्दु क्रमांक 03 अनुसार एम.डी.ओ. द्वारा खनिज रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है, जो कि जॉच टीम के माप अनुसार लंबाई लगभग 510 मी., चौड़ाई लगभग 120 मी. एवं औसतन गहराई 01 मी. होना पाया गया, अवैध उत्खनित खनिज रेत की कुल मात्रा 61200 घ.मी. होता है। उक्त के संबंध में एम.डी.ओ. को कारण बताओं सूचना पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक 614 दिनांक 08.08.2025 को जारी किया गया था। कारण बताओं सूचना पत्र का जबाव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, जबाव प्रस्तुत न किये जाने के कारण एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 660 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार एम.डी.ओ. के द्वारा किया गया उक्त कृत्य म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम) 2022 के उपनियम के नियम 18 के प्रावधानों के उल्लंघन होने के कारण अवैध उत्खनन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कुल उत्खनित खनिज रेत की रायल्टी राशि रु. 76,50,000.00 प्रथम दृष्टया शासन की राजस्व की जमाने मेसर्स आर.जी. एण्ड एसोसियेटस (माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) अधिकृत श्री रमेश दुबे निवासी- वार्ड नं. 15 बैहर रोड जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा किया जाना प्रतीत होता है।

अतः संदर्भित पत्र अनुसार अवैध उत्खननकर्ता मेसर्स आर.जी. एण्ड एसोसियेटस (माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) अधिकृत श्री रमेश दुबे निवासी- वार्ड नं. 15 बैहर रोड जिला बालाघाट (म.प्र.) के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज/विधिसंगत कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

[Handwritten Signature]
30/08/25

खनि निरीक्षक
जिला-बालाघाट (म.प्र.)